colleges, at times in the class-rooms also, and the lady students are harassed. Whenever such incidents happen, we bring them to the notice of the House or we write to the newspapers, raising our voice. But it is no use simply raising our voice. Some concrete steps should be taken by the Government and the UGC. I think, there should be a Commission specially appointed for the purpose of looking after all these problems, and a special action plan should be worked out by this Commission. The Government should think on those lines, and they should declare concrete steps in this regard. Sir, we the Members are worried about this. Through you, Sir, we request the concerned Ministry to do the needful, we request the UGC to do the needful in this matter.

THE VICE-CHAIRMAM (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, we will take up the Appropriation Bills—Shri Chandrashekhar Murthy.

THE APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1994,

THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1994,

THE APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1994.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): Sir, I beg to move:

> That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1991, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

I also beg to move:

> That the Bill to provide for the authorisation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1992 in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

further beg to move:

> That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1994-95, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir the Appropriation (No. 3) Bill, 1994 seeks to provide for appropriation out of the Consolidated Fund of India of the moneys required to meet the expenditure incurred in excess of the appropriations charged on the Fund and the grants made by Lok Sabha for the financial year 1990-91. The excess expenditure has been scrutinised by the Public Accounts Committee who have, in their Sixtieth Report (Tenth Lok Sabha) recommended regularisation of the excess expenditure on 23rd February, 1994. Out of 91 Grants and 4 Appropriations in 1990-91, excess expenditure occurred in 7 Grants amounting to Rs. 627.73 crores. The details of Demands for Excess Grants, 1990-91, have already been circulated to the members.

Sir, the Appropriation (No. 4) Bill, 1994 seeks to provide for appropriation out of the Consolidated Fund of India of the moneys required to meet the expenditure incurred in excess of the appropriations charged on the Fund and the grants made by Lok Sabha for the financial year 1991-92. The Excess expenditure has been scrutinised by the Public Accounts Committee who have, in their Seventy-fourth Report (Tenth Lok Sabha) recommended regularisation of the excess expenditure, on 28th April, 1994. Out of 93 Grants and 4 Appropriations in 1991-92, excess expenditure occurred in 7 Grants

amounting to Rs. 104.27 crores. The details of Demands for Excess Grants, 1991-92, have already been circulated to the Members. The Appropriation (No.5) Bill, 1994, arises out of the Supplementary Appropriations charged on the Consolidated Fund of India and Demands voted by the Lok Sabha on 9th August, 1994. These involve a gross expenditure of Rs. 343.30 crores.

The additional requirement of Rs. 343.30 crores comprises Rs. 250 crores for payment to the manufacturers/ agencies under the scheme of sale of decontrolled phosphatic and potassic fertilisers with concession to farmers, following a post-Budget decision to continue the scheme during 1994-95, Rs. 39 crores for expenditure on Delhi Milk Scheme, Rs. 22 crores for investment in share Capital of Scheduled Castes development Corporation, Rs. 10 crores for grant assistance to the Steel Authority of India Limited for implementation of the Voluntary Retirement Scheme, Rs. 10 crores for loan to the Government of Andhra Pradesh for the revival of two sick mills at Guntakal and Anantapur, and Rs. 12.30 crores for others. The details of Supplementary Demands are available in the Document laid on the Table of the house on 5.8.1994.

The concerned Ministries/Departments have identified equivalent savings/increased receipts of Rs. 86.94 crores and there would, thus be a net additional cash out-go Rs. 256.36 crores.

The questions were proposed.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Vice. Chairman, Sir, first of all, I would deal with some of the aspects of our economy.

I do not want to repeat what I had said earlier. But there is one thing which should be stated here. When this Government came to power in 1991, chaos was prevalent in the financial sector. The Government did its best to see that the economy was again put back on the rails. I must say, very honestly that they have succeeded to a very large extent.

Sir, as far as our foreign exchange reserves are concerned, today, it is about 17 billion dollars. Such a position was never there in the past. In fact, there is an excess of foreign exchange reserves now and this has also created some problems. The Reserve Bank of India has to buy foreign exchange and then they have to pump money into the economy. As such, there is an excess money supply and it has resulted in inflation.

As far as direct foreign investment is concerned, it is most welcome. Instead of incurring debts, paying interest on it and then paying back the debts in instalments, it is better that we attract direct foreign investment through joint ventures, especially in, what we call, the core sector, i.e. power, oil exploration, communications, etc. The Government is giving a big thrust. But when I see the figures, there is one thing I find. Of course, I am happy that in the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94, there has been some direct foreign investment. In the year 1993-94, I think direct foreign investment to the extent of Rs. 10,000 crores had been promised. But unfortunately, it is still in the pipeline and only about 20 per cent of direct foreign investment has been received.

3.00 P.M.

For that purpose, the Government has to give encouragement. I am totally in favour of direct financial investment but, I am afraid, as I said earlier also in the House, of what you call, foreign financial institutions. If they buy shares in the secondary market, I still feel that it will not help the country. I feel that there should to some kind of a monitary system for that purpose. If it is really for the purpose of investment, then let there be direct investment. But if our shares are being purchased by foreigners, we are not getting any additional resources. The resources remain the same. But they can play up the share market because they have got much financial mus-

cle power. Here, again I want to caution the Government, and though the Finance Minister replied, when I raised it here, that it will help the primary share market, I still feel that the Governemnt must think over this again. Otherwise, I feel that the share prices will be artificially increased or lowered by buying and selling and buying of shares, and we have got to keep a watch over this.

As regards the liberalization policy, to my mind liberalization means that there should not be unnecessary controls and unnecessary kind of hindrances for the industries. But at the same time, I do feel very strongly that there cannot be an open licence. I will just give the example of the textile mills.

In the last year 126 new textile mills had come up, because we removed the system of licence as far as the textile industry is concerned.I feel that wherever we lack in production or wherever the supply is much less than what is required, there should not be any licence system; it should be free. But when we feel that raw material is not available to the extent desired, and if you allow new mills to be established, then you will make the existing mills sick. And it is here that I want to caution the Government. You have allowed 126 new textile mills to come, but the cotton production has gone down. If you do not have the raw materials and if you allow the textile mills to come up, then the existing mills will become sick. Out of these 126 mills, 118 are in the private sector. I want to make it very clear that I am not against the private sector. I am propublic sector all right, but I am not against the private sector. But I do feel that the private sector should not only merely take the benefit of the public sector infrastructure. They have also to make their own contribution to the nation.

And what happened here? Why had we to take over the textile mills? It was because the owners of the textile mills never cared to renew the machinery and bring in new machinery. They exploited them fully and made them obsolete, and after they had totally squeezed them and made money and siphoned off the funds to other industries where they had a big margin of profits, ultimately the Government, for the purpose of giving employment to the labour, had to take them over. I am afraid, it may again happen like that and, therefore, I want to caution the Government. This kind of a thing should not happen again and so, I want to know what machinery you have to check this

I have been advocating this in the House for the last two years. I understand, I appreciate the difficulty of the Government. It cannot provide more funds to the public sector for budgetary support. At the same time, I think, the Planning Commission has allowed floating of both tax-free and taxable bonds for Rs. 3,000, but, ultimately, it was allowed only to the tune of Rs. 1,700 crores. How are you going to help the public sector? Even after the Planning Commission recommended it, the Finance Ministry says, "No". I understand it. It has happened in the case of the Railway Finance Corporation. We are aware of that. The Government thinks that if they are not able to have that amount of resources from the market, then, again they will come back to it for the purpose of budgetary allocation. I think, that notion should now be removed. Try to see that they get resources, but, if they fail, then, it is our duty also to help them. The public sector is our child, and we have to take care of our child much more than others. I am of that opinion.

Secondly, now they have no resources. Recently, we visited some of the public sector undertakings. I was the convenor of that group. We visited the HMT. The HMT had a pride of place in the public sector, but today they are in difficulties. During the discussion, they told us, "We are trying our best. We have got surplus land in our area meant for making watches. Allow us to sell the surplus land." I

do very strongly feel that the public sector must be given the permission, and for that purpose, the Urban Land Ceiling Act has to be relaxed. They should be allowed to sell the surplus land. It should be done very properly so that there is no underhand dealing. We have to take care of that. At the same time, if they are allowed to sell the surplus land, then only they can have resources. With those resources, they can do modernisation and technology upgradation. That is how we shall be able to revive public sector undertakings. Otherwise, all will go to dogs.

I am very happy that the Maharashtra Government has done this. Just now I read it. I was saying this for the last two years. If the news is correct, the Maharashtra Government has decided this about the National Textile Mills, the public sector mills which are incurring losses, not private mills. I was the Urban Development Minister of Maharashtra. So, I know that there are the Development Control Rules, and all the development is done accordingly. The Government of Maharashtra has decided this as regards the National Textile Mills in Bombay. Now, as far as Maharashtra is concerned, those rules will not be applicable to them. I will tell you what the position will be if the rules are applicable. They have to give 33 per cent of the surplus land either to the MAHDA, Maharashtra Area and Housing Development Authority or to the Bombay Municipal Corporation, and they can commercially exploit only 34 per cent of the total land. Now they will be able to exploit 100 per cent for commercial purposes. With this, they will have resources. With these resources, they will be able to revive the textile mills, and the persons who would have been affected by retrenchment, will be retained therein. This is how the Government will have to do it. This is how all the States will have to do it. I do very very strongly feel that the Urban Land Ceiling Act should be relaxed in the case of public sector undertakings. They should be allowed to sell their surplus land so that they can mobilise resources. This is how we shall be able to save the public sector. Otherwise, the public sector will go to dogs.

Sir, then, I would point out one good decision taken by the Government. That is regarding our exports. I am happy to learn that the Government has removed the ceiling on the export of hybrid jowar. We are the second largest Jowar producing country in the world. We have been producing more than 11 million tonnes of Jowar every year. In Maharashtra about 4 to 5 million tonnes of Jowar is being produced every year. Because exports farmers will get a good price. At the same time we shall have more foreign exchange. But here I would like to say that Government should be cautious on one thing. Jowar is consumed by the most vulnerable sections of our people. That is why the State Governments and the Central Government through the FCI and State agencies must procure some amount of Jowar so that at a time when their prices go up because of exports, it is immediately supplied to these sections of the people. So, while I am happy that with this decision the farmers will be benefited, we have also to be very much careful to see that consumer interests are not very much adversely affected.

As regards the prices, they are again going up. In one week marginally they go down, but the next week again the prices go up. This to my mind is because our industrial production has been lop-sided. Though our industrial growth has been only 1.6 per cent, 15 per cent of the growth is in the area of consumer durables which only the rich and upper class people could buy. The production of those industrial goods which are required by the common man has gone down. That is one of the reasons why prices are going up. The second reason is the increase in the money supply. So, lop-sided production has to be removed. We have to give all encouragement for the production of those goods which are used by the

common man. I am happy to note that in the earlier years the growth was minus, but in the current year it is positive. But that growth is not enough. We have to give a boost to that. The industrial production in 1992-93 was only 1.8 per cent and in 1993-94 it went up to 3.6 per cent. Earlier in the 80s it was 8 per cent. We have to aim at achieving that growth. For that purpose we have to give all fiscal concessions to all those industries which are manufacturing goods required for mass consumption.

As regards export goods, last year their growth was 20 per cent. In the recent year that was the highest. I compliment the government for taking necessary action to boost our export. But, Sir, again I want to say that this year things are not as good as they were last year. In April this year, the growth was 13 per cent. Last year it was 29 per cent. This shows the growth of exports is going down. It has become half of what was their last April. Similarly, we are not able to achieve the targeted increase in the steel sector. We have to give a thrust to exports and find out the reasons why the growth rate of our export is not going up as it was visualised. For that purpose remedial action should be taken.

As regards growth of GDP, in the year 1993-94 it was 3.8 per cent. This year it is expected to be 4.5 per cent. But this is very much lower than what was expected in the Eighth Five-Year Plan. What are you going to do about this? I have posed some questions. At the same time I would like to say one thing regarding our oil. Twentyseven per cent of import bill is on account of oil imports.

It has been increasing every year. It was 26 per cent, then 27 per cent, then 27.5 per cent and then 28 per cent. This is a drain on our foreign exchange. As such we shall have to give a major thrust to our oil production.

So far as consumer items are concerned, I am very much worried about pulses and oilseeds. The production of oilseeds has been stagnating at 20 million tonnes. Rajivji when he was the Prime Minister, had given a thrust to the production of oilseeds and there was a technological mission for pulses also. I think that we have to give a major thrust to the production of oilseeds because the price of edible oil is going up. Though we may say that the increase is only 10 per cent, still it is illusory. The real picture is only in the retail price. I will talk about the wholesale price also for which I have got data with me. That is what I have observed in the "Economic Times" of 17th August, 1994. From the 17th July, 1994 to 17th August, 1994, in a span of one month, the prices of foodgrains have gone up by 4 per cent. The total price rise was only 2 per cent. But in foodgrains it was 4 per cent. That is where the vulnerable sections of the society are hard-hit. In a span of one month, 4 per cent increase in the prices of foodgrains is terrific. How can the poor people buy foodgrains at such high prices? Here the Government should see what the reasons for the rise in prices of foodgrains are; and how they can be dealt with and how they can be brought down.

So far as the price of sugar is concerned, the Minister may say anything. But the fact is that the price of sugar is going up.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar): It has become very bitter.

SHRI JAGESH DESAI: Yes, it has become very bitter. I cannot afford it I tell you frankly that I am an ordinary person. My wife told me, "Whatever money you gave for one week, has been exhausted in five days." This is the situation of our middle class families. Here the Government should take action to see that the prices are brought down. I know that the Government is taking action but....

श्री हेच० हनुमनतप्पा: .....(व्यवधान) जब कम होती है तो बीबी बोलती है?

श्री जगेश देसाई: कम नहीं होती है। होती ही नहीं है। यह दिक्कत है मेरी। अब सब्जी के बारे में क्या बात बताऊं। सब्जी के बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उन्होंने सोचा है कि अगर मंत्री महोदय उनके कहने पर नहीं मानेंगे तो कम से कम बीबी की बात तो मानेंगे।

श्री जगेश देसाई: पैसे मैं देता हूं उनको और मुझे बोलती है एक हफ्ता भी नहीं चले, खत्म हो गए। मुझे वापस दो। अब मैं क्या करूंगा। I have to give her money. But आपको सब्जी के बारे में बताना चाहता हूं।

Now, vegetables have become luxury items for middle class families. You cannot get any vegetable for less than Rs. 20 or Rs. 25 per kg. except potatoes.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Nor can you import.

SHRI JAGESH DESAI: There is one school of thought that we have got enough foreign exchange, we should go in for import of consumer goods. I must tell you very, very honestly that I am not of that opinion. We have earned foreign exchange with great difficulty and we should not squander it away in this manner. It should be spent only for the purpose of setting up of infrastructure industries, buying machinery for producing goods but not for the purpose of importing consumer goods. It should not be allowed. I can understand if we use the foreign exchange to repay our debts. Only the other day, I was listening to our hon. Member, Mr. Birla in this House. From his speech, I could imagine how much our industrialists were shaken about the entry of multinationals into our country. I think that if multinationals are allowed to enter consumer industries, then, our small-scale industries and other industries will go to dogs. Let them come in our infrastructure industries. Let them come in the steel industry. I have no objection. Let them come in oil exploration. I have no objection. Let them come in the power industry. I have no objection. Without power, no country can stay in the competition. Without power, you cannot produce goods. If power is there, more goods will be produced and prices will go down because the cost of production will go down. Bring power from anywhere. Even if guarantee is required for that, give it. I am not against it. But power must be brought. I have seen many public sector undertakings. I will give only the example of the Vizag Steel Plant. Some four or five years back, we went there. The Plant was ready. The Andhra Government had assured them of power. But it did not give them power. For one year, that plant was not exploited! So, power has to be given.

Sir, I believe in the public sector. I want that the public sector should not be exploited. If the public sector should survive, then it should also be given power. The public sector should also be allowed to sell its surplus land. Then only we will be able to save the public sector.

Last year, the public sector did much better than the private sector regarding profits, sales and efficiency. After Rajivji took personal interest in monitoring the public sector working, vast changes were there. Earlier, there were only profits of Rs. 200 crores. Last year, it had the highest profits ever, Rs. 4,000 crores. But, unfortunately, what I am seeing is, some bureaucrats always try to be little the public sector. I want an efficient public sector. But, at the same time, I do not want to denounce the public sector. Even if the net profit is eight per cent, you say that the return is only one per cent. On what are you calculating the profits? Do you calculate your profits on your borrowings also? Profits should be calculated on your equity and reserves. The profits are always taken on your equity and on your own reserves. But, here, the loan is also added. You say, "We have invested one lakh and fifty thousand crores of rupees and what we are getting is only four per cent." It is

not so. The real picture is, only Rs. 50,000 crores is by way of equity. And, Rs. 1,00,000 crores is by way of loan on which they are paying interest. If you want to calculate the profits taking in the loan, you take into account the interest also. I have seen that unfortunately even in Government answers, these things are there. Please do not do like that. Give the correct picture. I have said this so many times. But let me make it very clear. This Government is committed to the public sector. This Government wants to have the public sector. This Government was the first to have given the advantage of floating bonds to the public sector when Rajivji was the Prime Minister and Mr. V.P. Singh was the Finance Minister. But, unfortunately, instead of being given for development, it was given to banks and the whole securities scam was on that account. Nobody had monitored that. No Government monitored that. When Budgetary support is given to the public sector, monitoring should be done to see that it is used for the purpose of development, for the purpose for which it was meant. That kind of monitoring was not there.

Sir, I am on my last point. It is regarding housing, the National Housing Policy. I want that the Urban Land Ceiling Act should be so modified that of the available surplus land, you can have your own formula. That is, 60-70 per cent of the land should be only for the purpose of small tenements of 300-400 square feet area each, where you can have one room, a small kitchen and a drawing room. For the purpose of advancing loans from banks, it should be considered a priority sector. I want it so because the persons in that category cannot go in for loans at high interest rates. If you really want to solve the housing problem, then, in the matter of giving loans, such tenements should be treated as a priority sector and concessional rates of interest should be offered to them. Otherwise, nobody can dream of having a house. What is the position today in Bombay? Today, the cost of construction per square foot may be Rs. 500/-. But the cost of land per square foot in the suburbs is not less than Rs. 3,500/-. This is the position. Are you not going to rectify it? You take over the surplus land. If you have no funds, all right. You prepare a scheme and let the MAHDA or the HUDCO or the Housing Board be given land and once they have been given land, they can invite applications and lots can be drawn because everybody would like to have a good house. Once a person has been allotted a piece of land, then, at the time of construction, money can be raised. I don't think there is any dearth of money for this purpose. If the Government cannot do it, let it be done by the Housing Boards or the HUDCO or some other agencies. But, this problem has to be solved. It is better that this problem is solved as early as possible. Otherwise, what was done by the late Indira Gandhi by having the Urban Land Ceiling Act, would be defeated. With these words, I, once again, compliment the Government for the good work they have done during the last three years. I have so many points. As regards the good work done by the Revenue Department, you see, about seven, eight or nine lakhs of new assessees are found every year by several departments. But, what is the cost of collection? It is 1.6 per cent. So, spend more money for that purpose. But, you are not doing it. Have more persons in the Directorate of Inspection. If this is done, then the big businessmen, who have been evading taxes to the tune of Rs. 400/- crores, would not be able to do it. This thing has never happened in this country. So, have more persons there in order to see that their accounts are properly scrutinised and the black money is out. That is the only solution. You can punish them, if necessary. But, you must have more staff. The cost of collection will be very much less and the revenue generated will be ten, fifteen or twenty times more. I have my own expereince about that. You see, all officers are not

corrupt. There are some devoted officers also. So, only those officers are to be entrusted with this responsibility who are above board. If this is done, more revenue will be generated and that can be utilised for the purpose of education and health. These are my suggestions. I wanted to take some more time but, I know, the time at my disposal is limited. Thank you.

श्री राधवजी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, एप्रोप्रिएशन बिल सदन के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और जो काफी अतिरिक्त राशि खर्च की गयी है, उसकी मंजूरी सदन से चाही गयी है।

महोदय, इसमें टैलिकम्युनिकेशन पर काफी राशि सदन से मांगी गयी है, लेकिन टैलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, उस पर जरूर विचार होना चाहिए। पिछले दिनों समाचार-पत्रों में काफी कुछ छपा है कि टेलिफोन विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। खासतौर से महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड में तो बगैर भ्रष्टाचार के कोई काम ही नहीं होता है। वहां छोटे-छोटे कामों के लिए रिश्वत मांगी जाती है। उपभोक्ता परेशान हैं। उन्हें सेवाएं ठीक से नहीं मिल रही हैं, टेलिफोन दुरुस्त नहीं रहते, गलत कॉल्स लगते हैं और सब का भुगतान उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। उनके सुधार के लिए किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों एक समाचार-पत्र में चार कॉलम्स का एक लेख छपा है, पता नहीं माननीय मंत्रीजी ने उसे देखा है कि नहीं, लेकिन उसमें सारे उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। इस भ्रष्टाचार के कारण ही सरकार को घाटा उठाना पड़ रहा है। वहां जो अपव्यय हो रहा है, फिजूलखर्ची हो रही है जिस वजह से ही टैलिकम्युनिकेशन के लिए और पैसे की मांग की गयी है। इसलिए भविष्य में इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना जरूरी है और इसकी मॉनीटरिंग ठीक से होनी चाहिए क्योंकि मॉनीटरिंग ठीक न होने के कारण जो बर्बादी और अपव्यय हो रहा है, उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। फिर सेवाएं जैसी चाहिए, मिल नहीं पा रही हैं। इस कारण बड़े-बड़े महानगरों में टेलिफोन की जितनी मांग पैदा होती है, उतनी मांग की पूर्ति उस वर्ष में नहीं हो पाती है। पिछली मांग बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। वह तो एक तरफ रहीं, लेकिन उस वर्ष में टेलिफोन की आवश्यकता के जितने आवेदन आते हैं, उतनी भी पूर्ति टेलिफोन विभाग नहीं कर पा रहा है। और इसके बावजूद भी यह कह रहे हैं कि हमारी सेवाएं बहुत बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ा रहे है, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। वास्तव में इस विभाग के कार्यों में सुधार होना जरूरी है। अगर सुधार ठीक प्रकार से होगा तो आपको इन मांगों को लेकर यहां पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक संसद सदस्यों के कोटे से जो टेलीफोन मिलते हैं उनमें भी स्थिति यह है कि उनके लिए जो पत्र जाते हैं, उन पत्रों को भी छह छह महीने तक अटेण्ड नहीं किया जाता। बार बार रिमाईडर जाते हैं, लेकिन उन रिमाइंडरों का भी कोई असर नहीं होता। पता नहीं, क्यों इस प्रकार की अव्यवस्था टेलीफोन विभाग में है? टेलीफोन विभाग की इस अव्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार विभाग की अनेक स्थानों पर जमीन की मांग हुई कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने के लिए। उदाहरण के लिए मैं आपके समक्ष मध्य प्रदेश के विदिशा नगर की बात करता हूं। वहां पर पिछले आठ-दस साल से जमीन खरीदने की बात चल रही है। जमीन उपलब्ध भी है, जमीन का कब्जा भी ले लिया है, लेकिन आज तक उस जमीन का विधिवत अधिग्रहण नहीं हुआ है, उसका भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण से जिसकी जमीन है, वह भी परेशान है, उस पर नया निर्माण भी नहीं हो पा रहा है, क्वार्टर नहीं बन पा रहे हैं। इस लालफीताशाही में वर्षों वर्ष गुजर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह बात टेलीफोन विभाग के मंत्री जी तक अवश्य पहुंच जाएगी और वह इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।

महोदय, कृषि विभाग में 250 करोड़ रुपए की मांग की गई है। यह 250 करोड़ की मांग आपने की, ठीक है, लेकिन पूरे देश में जो बाढ़ आई हुई है, उसके बारे में जितनी चिंता की जानी चाहिए थी, उतनी चिंता यहां सरकार ने नहीं की है। फलस्वरूप जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनको समय पर जो मदद मिलनी चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पा रही है। यह सही है, अन्य बातों की ओर ध्यान जाता है, लेकिन जो अत्यंत आवश्यक है और तत्काल करने की बातें होती हैं, उसकी ओर कोई चिंता ही नहीं है। मध्य प्रदेश में इस बार भारी वर्षा हुई है। लगभग सभी जिलों में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। वहां लगभग 1000 करोड़ रुपए की फसल चौपट हो गयी है, या तो वह बोई ही नहीं गई और बोई भी गई तो उगी नहीं। हिन्दुस्तान में जितना सोयाबीन पैदा होता है, उसका 83 फीसदी मध्य प्रदेश में पैदा होता है, किन्तु इस वर्ष यह 82 परसेंट में से अगर 5 परसेंट की फसल भी आ

जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। यह न केवल मध्य प्रदेश का नुकसान हुआ है बल्कि यह एक राष्ट्रीय क्षति है। यहां किसान बर्बाद हो रहे हैं, उनकी पूरी फसल चौपट है। खरीफ की और भी जो फसले हैं, मूंगफली, ज्वार आदि यह फसलें भी इस बार मध्य प्रदेश में नहीं हो पाई हैं। बाढ़ के कारण कम से कम 40 लोग मध्य प्रदेश में मरे हैं, 5 लाख लोग बेघरबार हो गए हैं और कई लोगों के मकान गिर गए हैं। इतना सब होते हुए भी मध्य प्रदेश सरकार ने जो मांग की है, उस मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, कोई दल यहां से नहीं भेजा गया है। अगर इतनी जरूरी और अत्यावश्यक समस्याओं की ओर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर यह अतिरिक्त मांग करने का क्या औचित्य है? इसलिए मेरा कहना है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछली बार सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि हम कृषि उपज के दाम, समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं और जिसके अनुसार गेहूं का दाम 350/- रुपए क्विंटल कर दिया गया था। अब कई प्रांतों में 350/- रुपए में खरीद की कोई व्यवस्था ही नहीं। अभी एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने यह स्वीकारा है कि फरवरी और मार्च महीने में एक क्विंटल अनाज भी नहीं खरीदा गया। इसके बाद जो खरीद की गई है, उसमें मध्य प्रदेश का, जो गेहूं का उत्पादन करने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका जो गेहूं बिकने आता है उसकी खरीद को अस्वीकार कर दिया जाता है, खरीदने से इंकार किया जाता है और वह इसलिए कि जो वर्षा हुई है उस वर्षा के कारण थोड़ी सी उस गेहूं में चमक कम हो गई है और इस कारण से मध्य प्रदेश में खरीद करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके फलस्वरूप बहुत थोड़ी मात्रा में गेहूं मध्य प्रदेश में खरीदा गया है और आम किसान का गेहूं, छोटे किसान का गेहूं, गरीब किसान का गेहूं 350/- रुपए के बजाए 300/- रुपए क्विंटल का दाम भी उपलब्ध नहीं हो सका। बार बार मांग करने के बाद केन्द्र की ओर से गेहूं खरीद की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बाद में यहां से एक सूचना गई कि इस प्रकार का गेहूं खरीदा जाए और वह भी 30 जून तक खरीदा जाए। यह सूचना पहुंचते-पहुंचते 30 जून निकल गया और अब उसको 30 जुलाई तक बढ़ाया गया है, वह भी निकल गया, लेकिन गेहूं खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अभी भी किसानों के पास बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा गेहूं है, जिसमें खड़ी फसल में पानी गिरने से उसका रंग उतर गया है, लेकिन उसकी चमक उतर जाने से उसकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं आई है। इस गेहूं के खरीदने की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई है, तत्काल की जाये। मैं इस बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सड़कों के बारे में लगभग 103 करोड़ रुपए की मांगें यहां पर प्रस्तुत की गई हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सड़कों की इस देश में बहुत दुर्दशा है और पिछले दिनों में लगातार सड़के खराब होती जा रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनकी अच्छी मेन्टेनेंस होनी चाहिए, जिनका अच्छा रख-रखाव होना चाहिए, उसकी ओर भी सरकार का पूरा दुर्लक्ष्य है। भ्रष्टाचार की जो कहानी और जगह है, वह यहां पर भी है। सड़के बनती हैं, पुल बनते हैं और पता नहीं क्यों जल्दी ढह जाते हैं। मैं रेलवे का उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी रेलवे का होशंगाबाद में नर्मदा नदी के ऊपर पुल बना, दस करोड़ से ऊपर उस पर खर्च हुआ और पहली ही बारिश में वह पुल बेकार हो गया और एक ट्रेन तो नर्मदा नदी में डूबते-डूबते बची। तो पहली ही बरसात में जब उस नए पुल का यह हाल है तो निर्माण की क्या स्थिति है — सड़कों की, पुलों की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश केन्द्र में बसा हुआ प्रदेश है और पिछले 8 साल से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने की मांग होती रही है लेकिन सबसे कम राजमार्ग मध्य प्रदेश में हैं। आखिर यह सौतेला व्यवहार क्यों है। जबकि उसी प्रदेश में से सारे वाहन होकर गुजरते हैं? चाहे उत्तर से दक्षिण आना हो, पूरब से पश्चिम जाना हो, मध्य प्रदेश से होकर गुजरना अधिकांश प्रकरणों में आवश्यक होता है, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग के नए मार्ग नहीं जोड़े जा रहे। बार-बार मांग की जा रही है, मांग की उपेक्षा की जा रही है और नया एलोकेशन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो भ्रष्टाचार के कारण यह जो पैसे का अपव्यय हो रहा है, उसके कारण से यह मांग है कि आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करें, उससे पैसा बचाएं और जहां आवश्यक है, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग कम से कम 5, जो बहुत जरूरी हैं ये वहां बढ़ने चाहिए, उसकी ओर सरकार ध्यान दे।

फिर अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो पर्यटन-स्थल है, उन तक पहुंचने के लिए, सड़कों के लिए एक योजना बनाकर भेजी है। मैंने इसके लिए राज्य सभा में प्रश्न किया था तो उस प्रश्न के उत्तर में आया कि धनराशि उपलब्ध नहीं है। पर्यटन के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, वहां पर अगर सड़के ठीक होगी तो इसका लाभ दूसरी तरह से भी होता है — पर्यटक आएंगे, विदेशी पर्यटक भी आएंगे, विदेशी मुद्रा भी आ सकती है, सरकार को उससे

लाभ भी हो सकता है और उन स्थानों का महत्व बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से स्थान हैं, पुरातत्व विभाग के हैं या प्राकृतिक सौंदर्य के हैं या अन्य प्रकार के ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर कि लोग जाना चाहते हैं जैसे कि "सांची" है, बोद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केन्द्र है, इसी प्रकार के बहुत से स्थान हैं लेकिन उन तक पहुंचने के लिए सड़कों की व्यवस्था ठीक प्रकार से करने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई विचार नहीं किया। राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, उसको शायद रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और कह दिया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में उस पर विचार करने के लिए उनके पास धनराशि उपलब्ध नहीं है। अब कश्मीर में पर्यटक जाने से कतराते हैं, कश्मीर का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ढप्प हो गया है। हिन्दुस्तान में पर्यटक आते हैं, आना चाहते हैं और बहुत से पर्यटन-स्थल भी है, हर प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी संख्या में हैं लेकिन उनके विकास करने की आवश्यकता है। अगर उनका ठीक प्रकार से विकास हो तो वहां पर बाकी भी उद्योग चलेंगे, होटल का धंधा बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, विदेशी मुद्रा आएगी और इसके माध्यम से देश में खुशहाली होगी। लेकिन जिस काम में पैसा लगाकर धन अर्जित किया जा सकता है, और देश की प्रगति की जा सकती है, उस कार्य में धन लगाने में पता नहीं सरकार क्यों सकुचाती है और अपव्यय करने के मामले में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाती।

वाणिज्य विभाग के लिए 521 करोड़ रुपए की मांग इसमें की गई है। वाणिज्य विभाग जिस प्रकार से काम कर रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। शक्कर का घोटाला, उस घोटाले की चर्चा करना में इस समय जरूरी नहीं समझता हूं, इस पर अलग से चर्चा होती रही है और आगे भी हो सकती है लेकिन इस प्रकार से यह वाणिज्य विभाग काम कर रहा है कि जिसके कारण से भ्रष्टाचार को तो भरपूर प्रोत्साहन मिलता है .....कमीशन के लिए खुली छूट मिली हुई है। जैसे लिब्रलाइजेशन ऑफ ट्रेड होता है, वैसे लिब्रलाइजेशन ऑफ कमीशन ऐड रिश्वत हो गया है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज तक व्यापार का संतुलन हम अपने पक्ष में नहीं कर पाए हैं। हम इस बात का बहुत दावा कर रहे हैं कि हमारा फॉरेन रिज़र्व बढ़ रहा है लेकिन फॉरेन-एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ने का कोई लाभ नहीं है जब तक हम व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में न कर लें। निर्यात बढ़े, आयात कम हो, यदि यह संतुलन हम ठीक न कर पाए तो हम न तो विदेशी कर्जा चुका सकेंगे न फॉरेन-एक्सचेंज रिज़र्व का कोई लाभ उठा पाएंगे। अभी तक इस दिशा में किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

महोदय, "गैट" के प्रस्तावों के बाद तो स्थिति और खराब हुई है। विदेशी माल भरपूर मात्रा में हमारे देश में आ रहा है। हमारे यहां के उद्योग-धंधे पिट रहे हैं, छोटे उद्योगों की दुर्दशा हो रही है, छोटे-छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं। आज वे मल्टी-नेशनल्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और मल्टी-नेशनल्स साधारण उपभोक्ता वस्तुओं पर छाती जा रही हैं। इनको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अर्थव्यवस्था इस तरह से बिगड़ रही है, व्यापार का संतुलन बिगड़ रहा है और आने वाले दिनों में क्या हालत होगी, यह कहा नहीं जा सकता। इस पर नियंत्रण होना चाहिए।

हम जिन चीजों का निर्यात ज्यादा कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस देश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की भरपूर संभावना है। इस देश में खादी-ग्रामोद्योग से उत्पन्न वस्तुएं, कॉटन इंडस्ट्री से उत्पन्न वस्तुओं के निर्यात की भरपूर संभावना है लेकिन सरकार ठीक प्रकार से इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज हमारे यहां के खादी के कपड़े, हैंडलूम के कपड़े और हैंडलूम से बनी हुई अन्य वस्तुओं की विदेशों में भारी मांग है लेकिन उस भारी मांग को पूरा करने के लिए, उसका उत्पादन ठीक प्रकार से करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए शासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। जैसी तैयारी इसके लिए होनी चाहिए, वैसी तैयारी भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद हम 521 करोड़ रुपए की मांगें लेकर आए हैं।

हम मांस निर्यात करें, यह कौन सी नीति है? भैंसे यहां से बंगला देश को निर्यात हो रही हैं। हमारे देश में पशुधन का ह्रास हो रहा है और हम सवा लाख भैंसे बंगला देश को निर्यात कर रहे हैं। पशुओं की तस्करी हो रही है और सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। पशुधन की हमारे यहां बहुत आवश्यकता है। यहां दूध की कमी है, घी की कमी है, खाद की कमी है, चमड़े की आवश्यकता है। इन सब बातों के होते हुए इसका औचित्य समझ में नहीं आता कि हम क्यों भैंसों को बंगला देश को निर्यात कर रहे हैं। 250 करोड़ के मांस के निर्यात के पीछे हम अपना पशुधन समाप्त कर दें, बरबाद कर दें?

महोदय, पिछले दिनों में पशुधन की संख्या प्रति हजार व्यक्ति हर 10 साल में घटती जा रही है और यह स्थिति बड़ी दर्दनाक है। पशुओं से जो हमें स्वाभाविक रूप से खाद मिलती थी, वह अब उपलब्ध नहीं है।

हमारा चमड़ा उद्योग जो पहले अच्छा चलता था, अब उससे उत्पादित होने वाली वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है क्योंकि अगर पशु कम होंगे तो चमड़ा कम निकलेगा, फिर निर्यात कम होगा और फिर फारेन-एक्सचेंज कम होगा। खाद भी नहीं मिल रही है और विदेशों में प्रतिबंधित रासायनिक खाद हमको मंगानी पड़ती है। इससे जो नुकसान हो रहा है, उसका यदि ठीक प्रकार से हिसाब लगाया जाए तो यह बड़ी भयावह स्थिति मालूम होगी।

अभी समाचारपत्रों में समाचार आया था कि हम जो दूध पी रहे हैं उसमें भी अब काफी मात्रा में जहर आ चुका है क्योंकि ये दूध उन पशुओं से निकलता है जिनको खतरनाक पैस्टिसाईड्स और इंसेक्टिसाईड्स डाली हुई घास और चारा खिलाया जाता है और वह दूध के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है। इसकी मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है और खतरे की सीमा को पार कर चुकी है। क्या कभी सरकार ने व्यापक प्रकार से प्रयोग किए हैं, इसको रोकने के लिए परिश्रम किया है, कोई ऐक्सरसाईज की है? अगर दूध ही दूषित होने लगेगा, विषैला मिलने लगेगा तो इस देश के बालकों का क्या होगा, नागरिकों का क्या होगा, इस पर विचार होना चाहिए। इसलिए मैं पुरजोर मांग करता हूं कि मांस का निर्यात बंद हो, बड़ी-बड़ी मशीनों से, आधुनिकीकृत यंत्रों से चलने वाले कत्लखाने बंद होने चाहिए। हैदराबाद में जो "अल कबीर" का कत्लखाना जो चल रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में भारी आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान भर में इसके लिए सम्मेलन हो रहे हैं। हैदराबाद में इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ है, बड़े-बड़े हजारों लोगों के सम्मेलन, जुलूस निकले हैं। अभी बंबई में एक ऐसा सम्मेलन हुआ। उसमें भी इस बात की मांग की गई कि अल कबीर एवं देवनार का कारखाना बंद होना चाहिए। नए कारखाने इस प्रकार के नहीं लगने चाहिए। दिल्ली के माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक अच्छा निर्णय किया है। दिल्ली में जो कत्लखाने चलते थे, वह बिल्कुल अस्वस्थकर चलते थे। कम जगह में ज्यादा पशु काटे जा रहे थे और उससे पूरा स्वास्थ्य ही दूषित हो रहा है। दिल्ली का पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, यमुना का पानी गंदा हो रहा है। उसमें लहू ज्यादा मिल रहा है। उसके लिए कुछ कोशिश की गई है यहां पर। लेकिन यह कोशिश और जगह भी होनी चाहिए। इसीलिए इस बात पर मेरी पुरजोर मांग है कि मांस का निर्यात बंद हो। यांत्रिक कत्लखाने बंद होने चाहिए। गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध पूरे देश के अंदर लगना चाहिए। कानूनन प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर इसके लिए संविधान के संशोधन की आवश्यकता हो तो संशोधन किया जाए और अगर यह भी संभव नहीं है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके हिन्दुस्तान के अंदर गौ बध के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए।

पर्यावरण वन के बारे में भी मुझे कहना है। इसमें तो बहुत छोटी सी मांग आई है। लेकिन पर्यावरण वन विभाग को जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए, उस प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। जहां आवश्यकता है उसका उपयोग होना चाहिए, वह उपयोग नहीं हो रहा है। बड़े-बड़े शहरों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वहां की वायु प्रदूषित हो रही है, वहां का जल प्रदूषित हो रहा है। लेकिन इस बात की चिंता नहीं की जा रही है कि अब बड़े शहरों में नए कारखाने नहीं लगने चाहिए। नए कारखाने चल रहे हैं, लगते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। उसका प्रदूषण कैसे रोका जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर वाहन बढ़ रहे हैं तो वाहन से जो धुंआ निकल रहा है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इस बात की कोई चिंता नहीं है। पैट्रोल में कैरोसीन और डीजल की जो मिलावट हो रही है, यह बड़े पैमाने पर हो रही है। आप जरा हिसाब लगाकर देखिए कि पैट्रोल में बगैर मिलावट किए हुए कोई धंधा करना चाहे तो उसका धंधा चल ही नहीं सकता है। इतना कम कमीशन उसके ऊपर मिलता है। जाहिर है कि सारे के सारे लोग मिलावट करते हैं। तीन लाख रुपए से लेकर दस लाख रुपए रिश्वत के खर्च करने पड़ते हैं एक पैट्रोल पम्प प्राप्त करने के लिए। यह दस लाख रुपए का विनियोग और उसके बाद कम कमीशन मिलना, क्या वास्तव में बगैर मिलावट के वह धंधा कर सकते हैं? वह धंधा बगैर मिलावट के होता नहीं है। उसमें मिलावट होती है और मिलावट होने के बाद वायु प्रदूषित होती है। यह कहा गया कि कैरोसीन को रंगीन करेंगे, उसमें ब्लू कलर मिलाएंगे। लेकिन अभी तक पता नहीं, कितनी जगह यह प्रयोग हुआ है? देश के अधिकांश भाग में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। पैट्रोल में कैरोसीन की भारी मिलावट हो रही है। इसके भाव में काफी अंतर है तथा उनको जो कमीशन कम मिलता है। अपनी आय की पूर्ति करने के लिए वह मिलावट करते हैं। इस मिलावट से प्रदूषण बढ़ता है और इससे यंत्र भी खराब होते हैं और धुंआ भी बढ़ता है। तो इसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश में बेतवा नदी है। इसमें प्रदूषण पर रोक के लिए पिछले दस सालों से लगातार मांग की जाती रही है केन्द्र से राज्य सरकार से और राज्य सरकार से केन्द्र

सरकार तक फाईल शटल हो रही है लेकिन उसके प्रदूषण को रोकने की कोई व्यवस्था आज तक सरकार ने नहीं की है। बार-बार यह कहा जा रहा है कि हमने राज्य सरकार से कहा है और राज्य सरकार ने कहा है कि हमने केन्द्र सरकार से मांग की है और मामला इसी में लटकता रहा है। मध्य प्रदेश की एक बांह और सघड़ योजना विदिशा जिले की है। वह बहुत आवश्यक योजना है, जो कई वर्षों पहले बनी थी। उसके लिए स्टाफ भी नियुक्त हो चुका था और उस पर स्टाफ कई वर्षों तक काम भी करता रहा, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्य हो नहीं सका है। पर्यावरण में वह लटकी हुई है और उसका आज तक क्लीयरेंस नहीं हो पाया है। इस प्रकार की योजनाओं को जो आवश्यक योजनाएं हैं, उनको रोका जाता है और इस कारण से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

अरबन डबलपमेंट के बारे में भी मुझे कहना है। छोटे कस्बों के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी लाल किले से भी घोषणा की थी कि हम इनकी दुर्दशा को सुधारना चाहते हैं। लेकिन दुर्दशा को सुधारने के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अरबन डवलपमेंट विभाग पता नहीं, क्या करता है इन छोटे कस्बों के बारे में। उसे कोई चिंता नहीं है। इनके ड्रेनेज की व्यवस्था क्या हो, क्योंकि छोटे कस्बों में इतनी आय नहीं होती कि वे ड्रेनेज की व्यवस्था कर सकें। उनके पास इतनी आय नहीं होती कि वे नल, जल की व्यवस्था कर सकें, उसको मैंटेन कर पाएं। उनके पास इतनी आय नहीं होती कि वह अपने मुख्य मार्ग को या दो-तीन सड़कों को डांमर की कर सकें। इसके लिए मदद देना आवश्यक है और यह मदद देने के लिए आज तक कोई विचार नहीं हुआ है, आज तक कोई ठोस योजना नहीं बनी है। ठीक प्रकार से इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया और कोई विचार नहीं किया गया और इसलिए जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, पंद्रह, बीस, पच्चीस हजार, पचास हजार की आबादी वाले कस्बे हैं, इन कस्बों में ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक हो, शुद्ध पेय जल प्राप्त हो सके, नलों से प्राप्त हो और इसके अलावा वहां की दो-चार प्रमुख सड़कें केन्द्र सरकार बनाने की चिंता करे तभी वहां उत्थान हो सकता है और इसलिए मैं इन बातों की ओर जोर दे रहा हूं।

रुरल डेवलपमेंट के बारे में मुझे एक बात कहनी है। रुरल डेवलपमेंट में जितना पैसा जवाहर रोज़गार योजना और बाकी योजनाओं में जाता है, इंदिरा आवास योजना में, उसका 75 फीसदी भ्रष्टाचार में चला जाता है। कहीं पर भी इंदिरा आवास कुटीर को आप देख लीजिए, तीन साल के बाद वहां पर बिलकुल साफ मैदान मिलेगा। कोई कुटीर नहीं है, कोई झोंपड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। पैसा बरबाद हो रहा है लेकिन बरबाद करने वालों को सज़ा देने की व्यवस्था नहीं है। उस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर एक झोंपड़ी बनती है तो दस, पंद्रह साल रहनी चाहिए, वह टिकी रहनी चाहिए। उससे पहले वह समाप्त हो गई है तो क्यों समाप्त हो गई है? उसके निर्माण के लिए कौन ज़िम्मेदार है? कौन अधिकारी उस में लिप्त है और कौन उस में पंच, सरपंच या नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है? इसके बारे में एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एकाउंटेबिलटी नहीं होती और यह भ्रष्टाचार होता जा रहा है।

यही स्थिति जवाहर रोज़गार योजना के बारे में भी है। सड़कें और बाकी के जो कार्य उस के अंतर्गत हो रहे हैं, जरा इनका भी ठीक प्रकार से हिसाब-किताब केन्द्र सरकार को लेना चाहिए और अगर नहीं लेते हैं तो उसका नतीजा यही होता है कि लोग सोचते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार से भी बैंक घोटाला और सिक्योरिटी कांड में रिपोर्ट जो आई है, उससे तो भ्रष्टाचारियों को और भी प्रोत्साहन मिल रहा है। वे सोचते हैं कि चलो। अगर दस हजार करोड़ खाने के बाद भी उन पर कार्यवाही नहीं हो सकती तो हम तो लाख, दो लाख खाने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर कार्यवाही क्यों होगी? इसलिए वे भी निर्भय हो कर और अपने हिसाब-किताब में जो गड़बड़ियां कर सकते हैं, वे करते हैं। लेकिन इसके लिए पूरा हिसाब-किताब ठीक प्रकार से होना चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए जितना धन यहां से जा रहा है, वह बरबाद हो रहा है, अपव्यय हो रहा है। उसके नियंत्रण के लिए, उसकी मानीटरिंग के लिए किसी प्रकार से भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को बनाने की आवश्यकता है। कौन ज़िम्मेदार है अगर तीन साल के अंदर, चार साल के अंदर सड़क खत्म हो जाती है, टिकती नहीं है? स्कूल की बिल्डिंग बनती है और दो साल के अंदर इस लायक नहीं रहती है कि उसमें बच्चे पढ़ सकें। कुएं बनते हैं तो कुंए हैं कहां, पता नहीं पड़ता है। आवास की कुटीरें बनती है, कुटीरें गायब हैं। तो क्या इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि पांच साल के अंदर अगर ये गायब हो गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका हिसाब लिया जा सकता है। उनको दंडित किया जा सकता है। अगर एक बार दंडित करना शुरू कर देंगे तो व्यवस्थाएं ठीक होंगी, पैसे का सदुपयोग होगा वरना आज करोड़ों अरबों रुपए बरबाद हो रहे हैं।

महोदय, इसके संबंध में एक-दो बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): बड़े दिनों बाद आए हैं जरा जम कर बोलिए।

श्री राघवजी : एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों को एक वर्ष या दो वर्ष के अंदर पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना सरकार बनाए। अगर एक हज़ार की जनसंख्या वाले गांवों को हम सड़कों से आज आज़ादी के 47 वर्ष के बाद भी नहीं जोड़ पाते हैं तो इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए गांवों के विकास के लिए सबसे पहले जो योजना बनाई जाए कि एक हज़ार की जिनकी जनसंख्या है, उनको सबसे पहले सड़कों से जोड़ा जाए, टाइम बाउंड प्रोग्राम उसके लिए बनाया जाए। यह आवश्यकता है नंबर एक। दूसरा है कि संतुलित विकास होना चाहिए। अब इस में से कोई एक क्षेत्र तो बहुत अच्छा है और दूसरा क्षेत्र पिछड़ रहा है, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। इस बात की चिंता होनी चाहिए। अब बिजली है। कई प्रदेश ऐसे हैं कि शत-प्रतिशत हो गई है तो बाकी के प्रदेशों में 50 प्रतिशत गांवों में बिजली की उनको भी चिंता होनी चाहिए। अगर एक प्रदेश शत-प्रतिशत सिंचाई का लाभ ले रहा है तो दूसरे प्रदेश में 25 प्रतिशत सिंचाई क्यों है और उस प्रदेश में भी सबसे पिछड़े ज़िला कौन सा है, उसके भी संतुलित विकास की आवश्यकता है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और जिसकी घोषणा बड़े जोर-शोर से की गई थी कि सांसदों को एक करोड़ रुपया दिया जा रहा है ग्रामीण विकास के लिए लेकिन मुझे पता नहीं, आज तक मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला। बाकी किसी को मिला हो तो बताना। लेकिन कब मिलेगा? इसकी योजना कहां चली गई? क्यों खटाई में पड़ गई है? अब ये जो पूरे काम करने के दिन थे, वो अप्रैल से लेकर जून तक के दिन थे। वे तीन महीने बेकार हो गए, अब बारिश के दिन आ गए हैं। इसके बाद भी अगर वह व्यवस्था सितम्बर तक नहीं की गई तो सितम्बर के बाद गांव में रास्ते खुलेंगे, मौसम ठीक हो जाएगा, निर्माण कार्य शुरू हो सकते हैं। सितम्बर के पहले अगर वह पैसा उपलब्ध करा दिया जाए, योजनाएं तैयार हो जाएं कि किन-किन कामों में खर्च होना है तभी उसकी सार्थकता होगी वरना मार्च में जा कर अगर आपने किसी तरह से एक करोड़ रुपया दे भी दिया तो वह इस वर्ष में ठीक तरह से खर्च नहीं हो पाएगा और ये आपकी घोषणा बेकार हो जाएगी या तो घोषणा वापस ले लो।

श्री शंकर दयाल सिंह: आप ही कह रहे हैं कि अगर आपने एक करोड़ नहीं दिया, क्या मतलब हुआ? या तो आप यह घोषणा वापिस ले लीजिए और अगर वापिस नहीं ले रहे हैं तो कम से कम रुपया दे दीजिए। लोग तो, जब हम वहां जाते हैं तो सांसदों से हिसाब मांगते हैं कि उस एक करोड़ का क्या हुआ? क्या तुमने जेब में रख लिया? इसलिए एक करोड़ रुपये की जो घोषणा की गयी है, इसके बारे में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें और सांसदों को विश्वास में लेकर उनकी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए। उपाध्यक्ष जी, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश): चेयरमैन साहब, इन्होंने जो बात उठायी है एक करोड़ रुपये की, वह निहायत जरूरी है। पूरे देश में ढिंढोरा पीट दिया गया है कि एक करोड़ रुपया एम० पीज़ को दिया जाएगा, इलाके के विकास के लिए। सब लोगों से लिखवा भी लिया गया, इलाके का हर आदमी इसको देख रहा है। अब एम-पीज़ के ऊपर शक की निगाह न पड़े कि आखिर उनको जब एक करोड़ रुपया सरकार ने दिया है तो ये कोशिश करके वह एक करोड़ रुपया मंगवाते क्यों नहीं हैं? इसीलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी मौजूद हैं, उनसे यह रिक्वैस्ट करता हूं, विनती करता हूं, इस्तदुआ करता हूं कि पहली फुरसत में.....,

مولانا عبیداللہ خان اعظمی :- چیرمین صاحب - انھوں نے جو بات اٹھائی ہے ایک کروڑ روپئے کی - وہ نہایت ضروری ہے - پورے دیش میں دھنڈورہ پیٹ دیا گیا ہے کہ ایک کروڑ روپیہ ایم - پیز کو دیا جائے گا علاقے کے وکاس کے لئے - سب لوگوں سے لکھوا بھی لیا گیا - علاقے کا ہر آدمی اس کو دیکھ رہا ہے - اب ایم - پیز کے اوپر شک کی نگاہ نہ پڑے کہ آخران کو جب ایک کروڑ روپیہ سرکار نے دیا ہے تو یہ کوشش کرکے وہ ایک کروڑ روپیہ منگواتے کیوں نہیں

ہیں - اسی لئے میں آپ کے مادھیم سے منتری جی موجود ہیں - اُن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں - وِنتی کرتا ہوں - استرِدھ کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

एक माननीय सदस्य: विद इंटरेस्ट दें।

मौलाना अबदुल्ला खान आज़मी विद इंटरेस्ट दें, वह तो परंपरा है, इंटरनेशनल परंपरा है, अच्छी बात होगी, मेरी गुजारिश यह है कि वह पैसा फौरी तौर पर रिलीज़ होना चाहिए ताकि इलाकों में काम हो सके और लोग सबको अपना काम दिखला सकें। सरकार तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ज़रिए काम दिखलाने के चक्कर में है तो हम लोगों की जमानत सरकार क्यों जब्त करना चाहती है? हमारे उन पैसों को सरकार पहली फुरसत में ले आए और लाने के बाद एमपीज़ के ज़रिए इलाकों का विकास किया जा सके ताकि यह महसूस किया जा सके कि एम-पीज़ भी काम कर रहे हैं और उन पैसों को मंगवा करके भारत की उन्नति और मुल्क को तरक्की की राह पर लगाने के लिए एम०पीज़ अपने ढंग से काम कर रहे हैं। मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि मिनिस्टर साहब यह आश्वासन दें और बताएं कि यह पैसा वह कब दे रहे हैं? इस पैसे की देश को बेपनाह जरूरत है जो एम०पीज़ के जरिए खर्च हो ताकि एम०पीज़ के काम भी लोगों के सामने आ सकें। थैंक्यू।

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی :- وِد انٹریسٹ دے دیں - وہ تو پرمپرا ہے - انٹرنیشنل پرمپرا ہے - اچھی بات ہوگی - میری گذارش یہ ہے کہ وہ پیسہ فوری طور پر ریلیز ہونا چاہیئے - تاکہ علاقوں میں کام ہوسکے - اور ایم - پیز لوگ سب کو اپنا کام دکھلا سکیں - سرکار تو بہوراشٹریہ کمپنیوں کے ذریعہ کام دکھلانے کے چکر میں ہے - تو ہم لوگوں کی ضمانت سرکار کیوں ضبط کرنا چاہتی ہے - ہمارے ان پیسوں کو سرکار پہلی فرصت میں لے آئے - اور لانے کے بعد ایم - پیز کے ذریعہ علاقوں کا وکاس کیا جاسکے - تاکہ یہ محسوس کیا جاسکے کہ ایم - پیز بھی کام کر رہے ہیں - اور ان پیسوں کو منگوا کر بھارت کی انتی اور ملک کو ترقی کی راہ پر لگانے کے لئے ایم پیز - اپنے ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں - میں آپ سے یہ گذارش کرتا ہوں کہ منسٹر صاحب یہ آشواسن دیں اور بتائیں کہ یہ پیسے وہ کب دے رہے ہیں - اس پیسے کی دیش کو بے پناہ ضرورت ہے - جو ایم - پیز کے ذریعہ خرچ ہو تاکہ ایم پیز کے کام بھی لوگوں کے سامنے آسکیں - تھینکیو -

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): One Minute.....(*Interruptions*)..... Mr. Minister, there is a demand from the M.Ps. But it is not correct to say that the amount one crore of rupees is given to the M.Ps. Under the M.Ps. Local Area Development Scheme, the funds are allocated to the MPs for development of districts in their respective States. They have to spend the money for the district which they select.

Mr. Minister, what happended to the scheme?

.....(*Interruptions*).....

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): The problem is that the money has not been released.....(*Interruptions*).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, the Minister is here to answer...(*Interruptions*)... Incidentally, he is the Parliamentary Affairs Minister also. ...(*Interruptions*).:. He is answering.

[]Transliteration in Arabic script.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAMESHWAR THAKUR): Hon. Vice-Chairman, the Scheme should be understood in the proper perspective, as you have rightly observed. Under this Scheme, No, money is expected to be released in favour of the hon. Members. The money is sent to the district administration in each State. Instructions have been sent to the State Governments that the money released to the States for various purposes should include the schemes up to one crore of rupees that will be given by the hon. Members on priority basis in the respective District Plans. Now, for instance, the hon. Member was mentioning Bihar. In Bihar, apart from the opening balance of a very substantial amount, we have sent...(*Interruptions*)... Well, I am giving an example since the hon. Member spoke about it. We have released Rs. 335 crores in the month of May and June. This money is lying in varying degrees in each State. We have ascertained the facts and according to the report which has come to us, the expenditure under only two major schemes is of the order of 19% and 17%. The money is lying with the district administration. We have written to the State Government. I have personally spoken to the hon. Chief Minister who said that he would give instructions to the district administration that out of that money, whatever priorities are indicated by the hon. Members, the work should be started accordingly. Last year, we had sent Rs. 5 lakhs separately for each hon. Member. I am told that some of the States had not released the funds forthwith. though the funds were sent on 23rd February, 1994.

4.00 P.M.

In most other cases that money was sent to the district administration because last time we had sent the money to the State Government. The money that we have released this year has gone to the district administrations themselves. There is a little confusion about this money which I would like to clarify. The Members feel that each of them should separately get one crore of rupees for which there is no separate allocation in the Ministry of Finance. Out of the Total allocation, we have requested the State administration to fulfil the obligation, as per the priority given by the the hon. Members and, if they have no funds or have less funds on any account, they should send us a request for additional funds. In fact, what we have sent is Rs. 25 crores which is one-third. If they spend 50%, we are going to release them further money in the month of October. So, there is no dearth of funds so far as the districts are concerned. But, I appreciate that the Members feel that there should be a separate allocation of one crore of rupees for each Member in each district so that they are able to spend the money under that head. There is no separate allocation. But, this matter is under consideration as to how it could be done. I assure the hon. Members that funds have been sent to each State and each district. There is no dearth of funds and hon. Members are free to give their programmes to the District Magistrates and leave them to implement it. We have recently sent very clear instructions to the State Governments that since they have the funds, they must spend the funds and priority must be given to the suggestions and guidelines of the hon. Members in the respective States.

श्री चतुरानन मिश्रः महोदय मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैंने सरकार के फैसले के बाद सारी स्कीम्स डी०एम० को जाकर दे दी। डी० एम०, जो 5 लाख रुपया इन्होंने दिया वह भी स्कीम लागू नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस के पास फंड नहीं है। हम ने लिखकर मंत्री महोदय को दे दिया है। जो फंड उन्होंने दिया है, बिहार गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक वह सिविल डिपाजिट में जमा कर दिया गया है। एक भी स्कीम लागू नहीं की गई है। न तो पहले वाली और न अभी वाली। इसलिए मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों को बदनाम करने के लिए यह घोषणा की है तो ठीक है, वरना यदि वे उन को बदनामी

से बचाना चाहते हैं तो आप सीधे डी०एम० के पास उतना ऐमाउंट भेज दीजिए। यह कहना गलत है कि डी०एम० को एम०पी० कोष के लिए पैसा दिया गया है। आप ने एक भी पैसा नहीं दिया है। आप हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। अगर आप इस ऐकाउंट में पैसा दे देते तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं रहती कि वह सिविल डिपाजिट में उस को जमा कर दे। बहुत से स्टेट्स की फाइनेंशल पोजिशन बहुत खराब है। इसलिए वह लोग इस को डाइवर्ट भी कर देते हैं। जब तक ऐकाउंट सेपरेट नहीं होगा, पैसा सीधे डी०एम० के पास नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोगों के सम्मान पर धक्का पहुंच रहा है। इसके लिए सोलह आने जिम्मेदार स्वयं मंत्री महोदय हैं, जिन्होंने यह प्रचार किया है कि हम लोगों को पैसा दिया जा रहा है। हम लोगों के ऊपर ऐडिटोरियल लिखा जा चुका है कि ये लोग खा जाएंगे, पका जायेंगे। यह तो आया भी नहीं माल। हम लोग सीधी बात कहना चाहते हैं कि हम लोग कोई रुपया खर्च करना नहीं चाहते हैं। हम लोग जो स्कीमें देते हैं उन को टाइमली ऐक्जीक्यूट कर दें, इसकी आप गारन्टी कर दीजिए। मंत्री महोदय को 6 महीने पहले लिखकर भी हम लोगों ने दिया है कि जो स्कीम हम लिखकर देंगे उस की "डेट आफ स्टार्टिंग आफ दि स्कीम एंड डेट आफ कंप्लीशन आफ दी स्कीम" ये दोनों हमें बताई जाएं ताकि हम उस को चैक-अप कर सकें आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। अभी तक वह नहीं किया गया है। यह अत्यंत दुखद बात है।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मैंने बहुत गौर से उनकी बात सुनी। उन्होंने सूचों के विकास के लिए जो पैसा भेजना था, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त यह एक करोड़ रुपया एक-एक एम०पी० को देने की सरकार ने घोषणा की थी, ऐलान किया था, उस वक्त पूरे मुल्क में सीधे-सीधे यह मैसेज गया कि एक-एक एम०पी० को एक-एक करोड़ रुपया पर इयर इलाके के विकास के लिए मिल रहा है। और इलाके के सारे लोग मुझे आकर कहते हैं कि हमारे यहां पूली नहीं बनी है, इमारत नहीं बनी है, हमारे यहां स्कूल नहीं है, हमारे यहां होस्पीटल नहीं है, हमारे यहां बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूलों में छत नहीं है। आप अपने कोटे से यह दे दीजिए, वह दे दीजिए। पूरे मुल्क में यह जेहन दे दिया गया कि एम०पीज के कोटे में यह पैसा दिया गया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर एम०पीज के कोटे में यह पैसा नहीं दिया गया तो सरकार रेडियो से और दूरदर्शन से अपनी पालिसी का एलान करे कि एम०पीज के कोटे में यह पैसा नहीं दिया गया है और पैसा इस तरह से दिया जा रहा है। वरना मुल्क हमारी अफवाहों का मुल्क है। शैतान को वली साबित करना और वली को शैतान साबित करना, अच्छे को बुरा साबित करना और बुरे को अच्छा साबित करना रोज-रोज का यहां खेल है। यह खेल हम लोगों के साथ न खेला जाए इसलिए सरकार अपना दृष्टिकोण साफ करे। सरकार एलान करे दूरदर्शन पर कि एम०पीज को यह पैसा नहीं दिया गया है और सरकार यह डायरेक्ट खर्च कर रही है। एम०पीज को किस तरह से पैसा खर्च करना है, एम०पीज के कहने से सरकार क्या कर सकती है यहां कलेक्टर क्या करेगा वह साफ-साफ तरीके से पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए ताकि एम०पीज की छवि खराब न हो। मैं मिनिस्टर साहब से चाहूंगा वह इसका एलान करने का आश्वासन दें कि दूरदर्शन से सरकार इसका एलान करेगी। क्योंकि पूरे मुल्क में भ्रम पैदा हो गया है कि एम०पीज चोरी कर लेंगे, एम०पीज यह कर लेंगे, वह कर लेंगे। सब लोग रोजाना पैसा मांगने आ रहे हैं।

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی :۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت غور سے ان کی بات سنی ۔ انھوں نے صوبوں کے وکاس کے لئے جو پیسہ بھیجنا تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ ایک کروڑ روپیہ ایک ایک ایم پیز کو دینے کی سرکار نے گھوشنا کی تھی ـــــ اعلان کیا تھا۔ اس وقت پورے ملک میں سیدھے سیدھے یہ میسیج گیا کہ ایک ایک ایم۔ پی کو ایک ایک کروڑ روپیہ پرائیویٹ علاقہ کے وکاس کے لئے مل رہا ہے ۔ اور علاقہ کے سارے لوگ مجھے آکر کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پولی نہیں بنی ہے ۔ عمارت نہیں بنی ہے ۔ ہمارے یہاں اسکول نہیں ہیں ۔ ہمارے یہاں ہاسپیٹل نہیں ہیں ۔

خراب نہ ہو — میں منسٹر صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اس کا اعلان کرنے کا آشواسن دیں کہ دوردرشن سے سرکار اس کا اعلان کرے گی کیوں کہ پورے ملک میں بھرم پیدا ہوگیا ہے کہ ایم - پیز چوری کرلیں گے — ایم - پیز یہ کرلیں گے - وہ کرلیں گے - سب لوگ روز آنہ پیسے مانگنے آرہے ہیں -

"ختم شد"

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Vice-Chairman Sir, one point is clear. None of us have asked for the money directly for the MPs. The question is that you have to earmark the amount one important reasons is this why from the very beginning our Party objected to this type of thing. If you announce one crore of rupees for each MP, it will create confusion and now you are directing this towards the State Government. You have a regular feature to allot some money for development in the districts in the name of rural development, to the district authorities. But you have to carmark separately that this amount is going for the local area development and if necessary, you have to create a separate head. Unless you create this, the confusion will continue.

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मंत्री महोदय सारे सदन को, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। उस समय तो सांसद के मद में एक करोड़ देने की बात कह कर उन्होंने वाह-वाही लूट ली लेकिन कार्यरूप में यह स्कीम परिणित नहीं हुई। हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं, जैसा हमारे मित्र बता चुके हैं, हम हंसी के पात्र बनते हैं। मैं समझता हूं हमारे मंत्री जी जो कह रहे हैं सांसद लोग इस बात को समझे नहीं हैं, मैं तो कहता हूं मंत्री जी स्वयं इस बात को समझे नहीं

ہمارے یہاں بچوں کے پڑھنے کے لئے اسکولوں میں چھت نہیں ہے - آپ اپنے کوٹے سے یہ دے دیجئے - وہ دے دیجئے - پورے ملک میں یہ ذہن دے دیا گیا ہے کہ ایم - پیز کے کوٹے میں یہ پیسہ دیا گیا ہے - اب سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ایم - پیز کے کوٹے میں نہیں دیا گیا تو سرکار ریڈیو سے، دوردرشن سے اپنی پالیسی کا اعلان کرے کہ ایم - پیز کے کوٹے میں یہ پیسہ نہیں دیا گیا ہے اور پیسہ اس طرح سے دیا جارہا ہے - ورنہ ملک ہمارا افواہوں کا ملک ہے - شیطان کو ولی ثابت کرنا اور ولی کو شیطان ثابت کرنا، اچھے کو برا ثابت کرنا، اور برے کو اچھا ثابت کرنا روز روز کا یہاں کھیل ہے - یہ کھیل ہم لوگوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے - اس لئے سرکار اپنا دردرشٹی کون صاف کرے — سرکار اعلان کرے دوردرشن پر کہ ایم - پیز کو یہ پیسہ نہیں دیا گیا ہے — اور سرکار یہ ڈائرکٹ خرچ کررہی ہے — ایم - پیز کو کس طرح سے پیسہ خرچ کرنا ہے - ایم — پیز کے کہنے سے سرکار کیا کرسکتی ہے یا کلکٹر کیا کرے گا وہ صاف صاف طریقہ سے پبلک میں میسیج جانا چاہیئے - تاکہ ایم — پیز کی چھوٹی

है। हम लोग तो समझ गये हैं। हम लोग पैसा नहीं चाहते हैं। हम जब स्कीम जिले में देते हैं तो कलेक्टर कहते हैं कि आपके मद में पैसा नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी के पास जाता हूं तो वह कहते हैं आपके सेन्टर से आपके फंड में पैसा नहीं आया है। कल भी मैं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा था कोई पैसा नहीं आया है। मैं कहता हूं आप हवा में बातें करते हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरेक सांसद के मद में जो पैसा जिले में भेजते हैं वह पैसा कब भेजा है वह बताया जाए और उसका सैपरेट एकाउंट हो और उसकी सूचना विधिवत सम्बन्धित सांसदों को दी जाए ताकि हम भी अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सकें और जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करा सकें। साथ ही कहां-कहां भेजा गया है इसका विवरण भी दें।

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): The problem arose with the wording in the letter written by the Hon. Minister. That is the trouble. He has written to the State authorities but, so far as my Government is concerned, the officers and the Government have reproduced the exact wordings of the Hon. Minister. He says, "as far as possible, accommodate the requests of the MPs." Number two, the other wording he used is "You have to follow the procedure, you are also following." So far as my State of Tamil Nadu is concerned, we are following. Every district project has to be approved by the District Development Council. That means, the Members will be there. Again, you are scrutinising the MPs suggestions. These difficulties are there. This is the problem. Last year, you straight-away gave Rs. 5 lakhs. This year you say that you have to take it from the Central pool. This is another defect. The other day the Hon. Prime Minister promised to talk to the Chief Ministers. Unless the letter written by the Minister sitting here amend his letter. I have given it in writing through the Vice-Chairman to the Minister but nothing has been done by the Minister.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): मंत्री महोदय, कृपया स्पष्ट करें कि मान लीजिये जैसे कि उत्तर प्रदेश है। वहां से 85 लोक सभा की सीटें हैं और 30 यहां की हैं। ठाकुर साहब सुन रहे हैं क्या। वे पचौरी जी से बात कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Minister.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: जितने लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं, इतने करोड़ रुपये का जो आपने अलोकेशन किया तो क्या उसमें एडीशनल दिया है? मान लीजिये सेंट्रल पूल से आपका पांच हजार करोड़ बना था, यू०पी० के लिये तो क्या आपने 85 करोड़ रुपया, जितने वहां के मेंबर हैं, उनको मिलाकर दिया है। सवाल यह है कि हैव यू डन इट। जितनी स्टेट में जितने मेंबर हैं, लोक सभा और राज्य सभा के, उनके हिसाब से आपने एकस्ट्रा पैसा दिया है या नहीं दिया है?

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: क्या कलेक्टरों को यह हिदायत दी गयी है कि एम०पीज़ के कहने से काम किया जाय?

مولانا عبید اللہ خان اعظمی:۔ کیا کلکٹروں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ایم۔ پیز کے کہنے سے کیا جائے۔

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: हिदायत दी गयी है कि एज फार एज पासिबल या वह भी नहीं दी गयी है?

श्री राघवजी: मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टरों को अभी तक सूचना नहीं दी गयी है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Minister, now the hon. Members have raised a point that since the funds have not been allocated on a separate head, i.e., "MPs Local Area Development Scheme", the State Governments are not honouring the requests of Members of Parliament. Now a situation has come that whatever recommendations have been given by the hon. Members, have not been carried out by the State Governments. Therefore, what are you going to do for the Rs. one crore scheme that has been announced?

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, the point is not that the State Governments are not honouring but the point is that the funds

of the States have not been augmented to that extent as they should have been becasue of the introduction of this scheme.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): महोदय, अभी तक किस स्टेट में कितना पैसा भेजा है, कृपा करके यह बतायें? इसे बताने में क्या कठिनाई है। आप मंत्री है, आप केन्द्र सरकार को चला रहे हैं आपको इसका उत्तर देना चाहिये। उपसभाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आपने पैसा भेजा है या आप लोगों को धोखे में रखना चाहते हैं? क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी: ये कठिनाइयां, इस तरह की समस्यायें आयेंगी ...(व्यवधान)...

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی :- یہ کٹھنائیاں ـــــ اس طرح کی سمسیائیں آئیں گی . . . " مداخلت " . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): let the Minister answer.

श्री रामेश्वर ठाकुर: समस्यायें सही मायनों में समझ ली जाए तो गलतफहमी नहीं होगी। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इसकी घोषणा जब सबसे पहले प्रधानमंत्री महोदय ने लोक सभा में और राज्य सभा में की तो एम०पीज को एरिया लोकल डेवलमेंट स्कीम की गाइडलाइन वितरित की गयी। मैंने स्वयं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० नारायणसामी): सुनिये।

श्री रामेश्वर ठाकुर: मैंने स्वयं अपने पत्र के साथ एक-एक प्रतिलिपि माननीय सदस्यों की सेवा में भेजी है और उसमें विस्तार से लिखा हुआ है, इस गाइडलाइन में। जहां तक पिछले वर्ष का सवाल था क्योंकि वह साल का अंत था, फरवरी महीने के आखिर में यह रुपया हमें भेजना था। बहुत से जिलों में रुपया नहीं था और वे खर्च कर चुके थे। राज्यों के जो सचिव हैं उनकी मीटिंग बुलायी गयी और उन्होंने कहा कि इस राशि को एक बार अलग भेज दें। हमारे पास पहले जानकारी नहीं थी कि इसमें करना है तो हम लोगों ने सभी राज्यों को पांच लाख की जो आप बात कर रहे हैं, वह सभी राज्यों को भेज दिये। इसकी सूची हमारे पास उपलब्ध है। 1993-94 में आंध प्रदेश में 2 करोड़ 95 लाख रुपया, 41 लोक सभा के सदस्यों के लिये और 18 राज्य सभा के सदस्यों के लिये 2 करोड़ 93 लाख रुपये भेजे। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The hon. Minister will take note of this. Kindly take your seat.

श्री रामेश्वर ठाकुर: आप पूरी बात सुन लीजिये, कृपा पूर्वक। ऐसे में सुविधा नहीं होगी।

इसी प्रकार हमारे पास अरुणाचल, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा आदि 25 राज्यों की सूची मौजूद है जिसमें हमने 37सौ करोड़ पांच लाख की दर से सभी राज्यों को दिया है। यूनियन टैरीटरीज में भी जो भेजना था वह भी भेजा है। यह राशि लगभग सभी राज्यों में पहुंच गयी है अभी जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं, अभी इन्होंने मुझे लिखित पत्र दिया है, जिसमें कहा है कि वहां राज्य सरकार को जो राशि दी गई थी उस राशि को सिविल खाते में जमा कर लिया और इस राशि को माननीय सदस्यों के सुझावों के मुताबिक खर्च नहीं किया गया। यह कहीं-कहीं अपवाद-स्वरूप किसी राज्य में हुआ है लेकिन इस तरह की और सूचनाएं हैं अन्य राज्यों में जहां रुपये भेजे गये हैं उनसे माननीय सांसदों के सुझावों के मुताबिक काम हो रहे हैं। हमने अभी सूचना मंगाई है उससे लगा है कि कुछ माननीय सांसदों ने पिछले साल में; अलग से मैं उनको चिट्ठी लिखने वाला हूं (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let him fully answer the points.

श्री रामेश्वर ठाकुर: मैं यह निवेदन कर रहा था कि कुछ माननीय सदस्य राज्य सभा के भी हैं जिन्होंने पिछले साल के लिए अभी तक अपनी योजना नहीं दी है अपने जिला कलक्टर को। यह सूचना भारत सरकार को आई है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनको अलग से खत भी लिखूंगा कि वह कृपापूर्वक अपनी योजना राज्य को दे दें जिसके लिए राशि वहां पर उपलब्ध है। जहां तक चालू साल का सवाल है, मैं स्पष्टता से बता दूं कि इसमें यह नहीं है कि पिछले साल या इस साल यह राशि नकद माननीय सांसदों को दी जाएगी। इसमें एक करोड़ रुपये तक की राशि माननीय सांसद जो योजनाएं

देंगे उसके मुताबिक खर्च की जाएगी और यह चीजें क्लाज 2.5 में दी गई हैं। इसके मुताबिक जो भी योजना बना कर देंगे उसके मुताबिक खर्च की जाएगी। इसमें केवल एक ही सीमा है कि वह योजना 10 लाख रुपये से अधिक की न हो। यह योजना वे अपना यहां बना कर भेजें तो जो राशि है (व्यवधान) मैं वही बता रहा हूं (व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: आप इतना बता दीजिये कि कितनी राशि खर्च हुई है ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) Kindly have patience to hear the Minister.

श्री रामेश्वर ठाकुर: यह सारी योजना इस वक्त कार्यान्वित हो रही है ग्रामीण विकास मंत्रालय से। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों में पहली किश्त के रूप में जो योजनाएं आती हैं उनके लिए राशि उपलब्ध कराई है। मैंने एक ही उदाहरण बताया था बिहार को 335 करोड़ रुपये भेजे गये। इसी प्रकार से सभी राज्यों को रुपये भेजे गये हैं। उसका विवरण जिलावार हमारे पास मौजूद है। मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं, मेरी बात को सुना जाए। हमारे पास अलग से एम०पीज० एरिया फंड कह कर के कोई सेपरेट एलोकेशन नहीं है। हमारे वित्त राज्य मंत्री यहां मौजूद हैं ...(व्यवधान) ...

श्री आर० के० धवन: होनी चाहिये।

श्री रामेश्वर ठाकुर: होनी चाहिये, यह सुझाव अच्छा है।

मौलाना औबेदुल्ला खान आज़मी: एक सेकेंड।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی :- ایک سیکنڈ۔

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० नारायणसामी): बैठिये, बैठिये, आज़मी साहब।

श्री रामेश्वर ठाकुर: लेकिन सभी सरकारों को लिखित रूप से, जिस समय राशि भेजी गई, उनको खत लिखा गया। हमारे सचिव ने मुख्य सचिवों को लिखा है और जो प्लानिंग विभाग राज्य स्तर पर कोआर्डिनेट करता है, उनको भी लिखा है कि जो राशि ज़िलावार सभी राज्यों को भेजी गई है, जो राशि काफी आपके पास उपलब्ध है, जो भी माननीय सदस्य अपनी योजना देते हैं, उस राशि में से खर्च करें। मैंने एक राज्य का बताया, इतनी राशि में से उनके पास 30 जून का हिसाब आया 17-19 परसेंट खर्च हुआ है। राशि उनके पास पांच करोड़ से ले कर 20 करोड़, 25 करोड़ उपलब्ध है और कहीं कहीं तो उससे भी अधिक है। यह जो एक करोड़ रुपया है, उसमें आप खर्च क्यों नहीं कर रहे है। कुछ राज्य तो कर रहे हैं लेकिन सभी राज्यों की बात नहीं है, कई राज्यों में विधिवत खर्च हो रहा है। अभी हमारे साथी बैठे थे पश्चिमी बंगाल के, माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर कोई कठिनाई नहीं है। हमने यहां से स्पष्टीकरण भेजा इसके मुताबिक जो योजना माननीय सदस्यों ने बना कर भेजी है, उसको वहां इंटरटेन कर रहे हैं। अन्य राज्यों में भी हो रहा है। यह अलग बात है कि कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि इस राशि को अलग से हैड में दिया जाए तो माननीय सदस्यों को सुविधा होगी। प्रशासन को किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी। यह सुझाव आया है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा जाए कि राशि नहीं भेजी गई है, यह उचित बात नहीं है। राशि गयी है और उसके साथ साथ उनको लिखकर सूचना गयी है कि आप माननीय सदस्यों की इस राशि में से करें और अभी-अभी जो आख़िरी हमारा गया है, हमारे जो अतिरिक्त सचिव है उन्होंने 16 जून को इसके बारे में सभी राज्यों को लिखा है। अभी इसके बाद जो लेटेस्ट 25 जुलाई को है उसमें सभी राज्यों के सचिवों को यहां से, लोकल एरिया डेवलपमेंट सेल बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो राशि आपको भेजी गयी है, माननीय सदस्यों की एक करोड़ तक की योजनाओं को आप उस राशि में से कार्यान्वित करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश राज्यों में यह काम हो रहा है। कुछ राज्य ऐसे है जहां से अतिरिक्त राशि की मांग आई है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने उदाहरण दिया, कई राज्य ऐसे हैं जो अलग से, अतिरिक्त राशि मांगते हैं—अतिरिक्त तो कैसे कहा जाए, अलग से राशि मांगते हैं। हमारी भेजी हुई राशि माननीय सांसद के अनुसार अलग फंड में जमा कर देते हैं। वे ग्रामीण विकास के रुपए हैं, डी० आर० डी० ए० के हैं। वह रुपया जिलों में गया हुआ है। उस रुपये को ग्रामीण विकास के मद में खर्च करना चाहिए। राज्य सरकार का उस पर कोई हक नहीं है। उचित नहीं है कि वह रुपया डाइवर्ट करके दूसरे मद में जमा कराए और खर्च करे और जिसके विषय में हमने लिखित रूप से उनसे कहा है कि इस राशि को आप माननीय सदस्यों की योजनाओं के

अनुरूप, गाइड लाइन को देखते हुए, नियम के अनुसार खर्च करें। उन खर्च में कुछ राज्यों में कठिनाई आई है इसका हम समाधान कर रहे हैं। उन राज्यों से हम बात कर रहे हैं। अभी राजस्थान की बात आप कह रहे थे। आपके माननीय मंत्री जो हैं, ग्रामीण विकास के, वे उन मंत्रियों की टोली में हैं, जो हमारे 9 मंत्रियों की हमारी एक सब कमेटी है—नेशनल कमेटी आफ पंचायती राज मिनिस्टर्स—उसमें इसकी पूरी चर्चा हुई है और मंत्री जी ने कबूल किया कि रुपये गए हैं। लेकिन अलग से वहां लोग कहते थे। कहते थे लोग, वह अलग है लेकिन रुपए भेज गये हैं और जिलों में भेजे हैं और आपके चीफ सेक्रेट्री को और ग्रामीण विकास मंत्री को भी सूचना दी। हमने ग्रामीण विकास से सभी राज्यों को लिखा है कि इस राशि का समावेश जो राशि आपको भेजी है उसमें करें ...**(व्यवधान)** ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let us not make it an issue. Let him answer the point., Mr. Minister, have you concluded? ...*(Interruptions)*...

श्री चतुरानन मिश्र: अगर आप यील्ड करें ...**(व्यवधान)** ... एक मिनट आप यील्ड करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): This is not the subject to be discused now.

श्री चतुरानन मिश्र: ही हैज यील्डेड। हमारा क्लियर कहना है कि आपके यहां से पत्र गया है, कितने पत्र गये हैं, कितने लव लेटर्स गये हैं यह हम नहीं जानते हैं। हम आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं। आपने ऐलान कर दिया कि सांसदों के लिए एक करोड़ रुपया जाएगा। वह उस एकाउंट में गया नहीं। सांसद बदनाम हो रहे हैं। आप यहां यह कहा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रुपया हमने भेज दिया। यह तो हर साल सरकार भेजती है। पिछले सौ वर्ष से भेजे जा रहे हैं हर साल। हमारे लिए कोई लीगल प्राविजन नहीं है ...**(व्यवधान)** ... हम बदनाम हो रहे हैं। इस पर आप स्पष्ट कीजिए ...**(व्यवधान)** ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): He has said that this has been sent to the State Government.

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी: यह बहुत अहम बात है। पूरे मुल्क में यह बात जा रही है कि एम० पी० के नाम पर यह पैसा खर्च किया जा रहा है ...**(व्यवधान)** ...

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی :- یہ بہت اہم بات ہے - پورے ملک میں یہ بات جا رہی ہے کہ ایم - پی کے نام پر یہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے ....."مداخلت"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let us not make it an issue. Let us not stretch it further.

श्री रामेश्वर ठाकुर: मिश्रा जी को मैंने अर्ज किया था ...**(व्यवधान)** ... उनका जवाब देने दीजिए। यह अहम सवाल है। मैं यह निवेदन करूं कि यह हमारी सारी योजना राज्य सरकार कार्यान्वित करती है। आप राज्य सरकार के अंग है। वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करते हैं। क्या कृपापूर्वक आपने मुख्य मंत्री को लिखा है कि यह राशि आई है भारत सरकार से ...**(व्यवधान)** ...

श्री चतुरानन मिश्र: हमने मुख्य मंत्री को लिखा है ...**(व्यवधान)**...

श्री रामेश्वर ठाकुर: लिखा है तो क्या जवाब दिया है उन्होंने ...**(व्यवधान)**...क्या जवाब दिया है।

श्री चतुरानन मिश्र: कोई जवाब नहीं है ...**(व्यवधान)**...

श्री रामेश्वर ठाकुर: मैं उनको बता रहा हूं ...**(व्यवधान)**...रुपये उनको भेजे हैं ...**(व्यवधान)**...रुपये आपको दिए हैं। चार करोड़ से अधिक राशि है।

श्री चतुरानन मिश्र: यह तो हर साल देते है।

श्री रामेश्वर ठाकुर: हर साल नहीं देते है। इस साल की बात कर रहे हैं। हर साल की बात नहीं कर रहे है।

श्री चतुरानन मिश्र: आपने उसमें लिखा है कि चार करोड़ में वहां पांच एम०पी० है उस जिले के आप पांच करोड़ दीजिएगा, तब एक एक करोड़ होगा

...**(व्यवधान)**...तो आप लिख दीजिए कि एक एक करोड़ रुपया जा रहा है।

श्री रामेश्वर ठाकुर: उनको हमने ये भेज दिए है ...**(व्यवधान)**...दूसरी सूची में 11-12 करोड़ उस जिले को दे रहे हैं। पहले केस में चार करोड़ दिया है ...**(व्यवधान)**...

श्री चतुरानन मिश्र: तो आप लिख दीजिए कि हर एक एमपी के लिए हमने यह किया है...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr Azmi, please take your seat.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: एमपी के नाम को बदनाम करने से बचाने के लिए क्या कर रहे है?

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی:۔ ایم۔ پی۔ کے نام کو بدنام کرنے سے بچانے کے لئے کیا کر رہے ہیں۔

श्री रामेश्वर ठाकुर: कुछ राज्यों का सवाल है। आप समझ रहे हैं वहां ऐसा हो रहा है ...**(व्यवधान)**...पर आप अपनी राज्य सरकार को जिसके कि आप हिमायतदार है और जिसको आपकी, सांसद की बात को सुनना चाहिए ...**(व्यवधान)**... आपको हम कह रहे है जिम्मेवारी के साथ कि इतना रुपये उनके पास भेजे गए है।

आपके जिला में कितना रुपया है, वह सूची भी है। आप अपनी राज्य सरकार को कहिए कि उस रुपया में से क्यों नहीं खर्च करते है। ..**(व्यवधान...)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: सवाल यह नहीं है, सवाल यह नहीं है ...**(व्यवधान)** ...

श्री चतुरानन मिश्र: हमने भी तो लिखकर दिया है। आप कह रहे हैं कि अपनी सरकार को कहिए ...**(व्यवधान)** ...

श्री रामेश्वर ठाकुर: राज्य सरकार को कार्यान्वित करना है, यदि राज्य सरकार नहीं करती है तो उसकी हम पूरी जांच करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: सवाल यह नहीं है ...**(व्यवधान)** ...सवाल यह नहीं है, आपने जो प्लानिंग कमीशन ...**(व्यवधान)** ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, this matter is closed. Shrimati Urmilaben Patel, you have to speak now.

कई माननीय सदस्य: जवाब नहीं मिला है। ...**(व्यवधान)** ...

THE VICE-CHARIMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) He will respond during the reply. ...*(Interruptions)*...

(उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए)

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात): महोदय, तीन एप्रोप्रिएशन बिल यहां प्रस्तुत किए गए हैं उसकी मैं सपोर्ट कर रही हूं और सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि अपनी सरकार ने तीन साल में अर्थतंत्र को स्थिरता दिलवाई है, फोरेन एक्सचेंज में सुदृढ़ता प्राप्त की है। जब हमारी सरकार आई तो उस समय पूरा अर्थतंत्र बैंकरप्सी के किनारे खड़ा था और हमें अपना सोना गिरवी रख कर हमारा व्यवहार चलाने की जरूरत पड़ी थी। आज हमारा फोरेन एक्सचेंज 15 हजार डालर तक पहुंच गया है। यह बड़ी खुशी की बात है। जो लिबरलाइज़ेशन और प्राइवेटाइज़ेशन की पालिसी हमने एक्सैप्ट की इसके कारण औद्योगिक विकास में भी वेग आया है। लेकिन एक और बात भी यहां बताना चाहती हूं कि लिबरलाइज़ेशन और प्राइवेटाइज़ेशन करने से विदेशी मुद्रा हमारे यहां आई है। उसके साथ-साथ जो हमारी परदेस के साथ व्यापार बढ़ाने की नीति है इससे परदेसी माल भी ज्यादा हमारे देश में आ रहा है। लेकिन परदेसी माल बाज़ार में इतना आ गया है कि हमारे देश में बनी जो चीजें है, वस्तुएं है वे बाज़ार में एक या दूसरे कारण से पड़ी रही हैं, उसका इस्तेमाल लोग नहीं कर सकते। कहां तो उनको जो प्रोटैक्शन मिलता था वह बंद हो गया। उसके दाम लोगों को ज्यादा पड़ते हैं। एक हमारे समाज में फोरेन वस्तुओं का इस्तेमाल करने का भी क्रेज है इसके कारण भी हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं

का उपयोग होता नहीं है। तो अगर हम हमारे देश में जो उद्योग चल रहे हैं या नए उद्योग जो प्रस्थापित हो रहे हैं उसको जरूरी प्रोत्साहन और प्रोटैक्शन नहीं देंगे, तो इंबैलेंस खड़ा हो जाएगा और परदेस का माल आता रहेगा हमारे देश में बिकता रहेगा और हमारे उद्योग का जो विकास होना चाहिए, देश में जो हमारा उद्योग है उसे बढावा मिलना चाहिए वह नहीं हो सकेगा। कुछ ऐसा बैलेंस करने के लिए कोई कंट्रोल का सिस्टम भी हमें डिवैलप करने की जरूरत है।

दूसरी बात में बताना चाहती हूं कि इतना विकास होते हुए भी हमारे देश में जो गरीब हैं, वे गरीब ही रहे हैं। वैसे हम कहते हैं कि करीब 50 परसेंट, 55 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, लेकिन अगर हमारे लोअर मिडल क्लास की जो स्थिति है, उनकी जो यह महंगाई में मुश्कलियां हैं इस सब का हम अभ्यास करें तो ऐसा लगेगा कि हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है।

हमारे प्रो-पुअर प्रोग्राम्स बहुत से है, लेकिन इन प्रोग्राम्स का लाभ जो गरीबों में भी गरीब हैं, निचले स्तर के जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन लोगों तक ज्यादातर लाभ नहीं पहुंचता है। जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको लाभ नहीं पहुंचता है और जो पिछड़े वर्गों में इलिट्स होते हैं, वहां तक लाभ सीमित हो जाता है।

महोदय, मैं तीसरी बात यह बताना चाहती हूं कि उद्योगों के बढ़ते हुए भी हमारी बेरोजगारी की समस्या में कमी नहीं आई है। यह समस्या दिन-प्रति-दिन ज्यादा गंभीर हो रही है। हमारी पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है, वह भी इसका एक कारण है कि जिस योजना द्वारा रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन आबादी के बढ़ाव के कारण बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। इसलिए हम बड़े-बड़े उद्योग को प्रोत्साहन दे रहे है, फिर भी स्वरोजगार देने वाले जो गृह-उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, खादी, हैंडलूम्स और पावरलूम्स हैं, उनको अगर ज्यादा प्रोत्साहन देंगे तो सेल्फ-एम्प्लायमेंट की कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी और हम हमारी बेरोजगारी की समस्या हल कर सकेंगे। महोदय, जैसे हमने अपने अर्थ-तंत्र के बारे में कनसंट्रेट कर के उसको स्थिरता दिलवायी है, उसी तरह से जो हमारी रूरल इकॉनोमी ग्रामीण अर्थ-तंत्र को भी मजबूत बनाने के लिए हमें चौकस प्लानिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम देखते है कि गांव के लोग बेरोजगारी के कारण शहरों की ओर भागते है। उनका शहर के प्रति आकर्षण दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है।

श्री ईश दत्त यादव: (उत्तर प्रदेश) महोदय, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): किस बारे में?

श्री ईश दत्त यादव: मेरा पॉईंट ऑफ ऑर्डर यह है कि कोरम तो हमें लगता नहीं है और यहां बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। ये तीन अत्यंत गंभीर विनियोग विधेयक हैं हमारी अर्थ-अव्यवस्था के संबंध में और संचित निधि से पैसा निकालने की बात चल रही है, लेकिन कोरम नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सदन की बैठक स्थगित कर दें और जब कोरम पूरा हो जाय, जोकि कल पूरा होगा, इस पर चर्चा करायी जाय।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अभी खान साहब ने कहा है कि आपके आने के बाद भी अगर कोरम न हो तो कैसे चलेगा? बैल दी जा रही है।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सत्ता पक्ष की ओर से जब भी कोई गंभीर वाद-विवाद या विचार होता है तो उदासीनता देखी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सत्ताधारी पक्ष में कितने सदस्य बैठे हैं और हम लोग कितने बैठे हैं, इसकी गिनती कर ली जाय। मेरा यह कहना है कि कम-से-कम सत्ताधारी दल को उनके संसदीय-कार्य मंत्री, उनके सचेतक को अपने सदस्यों को निश्चित रूप से कहना चाहिए कि वह हाउस में आएं।

श्री मोहम्मद यसुद खान: आपके आने के बाद तो कोरम हो जाना चाहिए।

श्री शंकर दयाल सिंह: आप तो बीच के है, इसलिए चुप रहिए। आप इधर हैं और उधर भी हैं। उपसभाध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि आज विपक्ष के सदस्यों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि बहुत से सदस्यों को जानकारी नहीं है कि आज कोई सहमति हो गयी है। कल सदस्य आएंगे, इसलिए ईश दत्त यादव का यह कहना सही है और मैं इसका समर्थन करता हूं कि अगर सदस्यों को जानकारी नहीं है और सही अर्थ में यदि कोरम पूरा नहीं है तो इस महत्वपूर्ण विषय पर कल चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Why are you telling all this?

श्री शंकर दयाल सिंह: रहने दीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं। अरे, जो हफ्ते से आप बोल ही रहे थे। अब क्यों आप चिल्ला रहे हैं ...**(व्यवधान)** ...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): शंकर दयाल जी, कृपया आप बैठिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Only ten minutes back we were in the House.

श्री शंकर दयाल सिंह: दो हफ्ते तक तो आपको मौका दिया गया बोलने का।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): प्लीज, उर्मिला जी को अपनी बात कहने दीजिए। आप भी फिर कहेंगे अपनी बात को ...**(व्यवधान)**...

श्री शंकर दयाल सिंह: हमारा कहना यह है कि सत्ताधारी दल को कम से कम अपने सदस्यों को कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण विषयों पर जब सदन में बहस चले तब वह लोग सदन में बैठें।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। अगर महत्वपूर्ण विषय पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं तो सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए। उर्मिला जी, आप कहिए।...**(व्यवधान)**...

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: हमारी ग्रामीण प्रजा शहरों की तरफ आकर्षित होती है। लोग गांवों से शहरों में ज्यादा आ रहे हैं। आज शहरीकरण 40 प्रतिशत हो गया है और अगर यही व्यवहार चलता रहा तो थोड़े ही समय में 50 प्रतिशत तक आबादी शहरों में बसने आ जाएगी। गांवों की स्थिति यह है कि वहां सिविक एमिनेटीज अवलेबल नहीं हैं, गावों में रोजगारी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर हमें यह प्रवाह रोकना है तो ग्रामीण अर्थतंत्र को सुदृढ़ करने के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर यह नहीं हुआ तो गांव और टूटते रहेंगे और शहरों की ओर आने वाला यह प्रवाह रुकेगा नहीं, जिससे शहरों में जो रहने की सुविधा चाहिएं, जो अमिनेटीज चाहिएं उनमें कमी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज शहरों में स्लम्स बढ़ रहे हैं, झोपड़-पट्टी बढ़ रही हैं और उनकी जो स्थिति है वह हम देखते हैं। बड़े बड़े शहरों में, जैसे यह बंबई स्लम्स हुए कलकत्ता हुए अहमदाबाद हुआ, हम देखते हैं कि झोपड़ पट्टी में कोई सिविक अमिनेटीज नहीं मिलती। वहां कहीं पीने के पानी की सुविधा नहीं, तो कहीं गटर की व्यवस्था नहीं, तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं और कहीं कहीं तो तीनों ही चीजों की उपलब्धि नहीं है। इस तरह स्लम्स विस्तार में सुविधाएं नहीं हैं। वहां पानी का निकास नहीं होता और बहुत गंदगी हो जाती है। मानसून के सीजन में तो इतनी मिट्टी, इतना गंद हो जाता है, जिससे कि लोगों की हेल्थ के ऊपर भी खराब असर होता है।

इस सब को देखते हुए अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, स्पेशल प्रोविजन नहीं करेंगे तो हालत बद से बदतर होगी। हमारे यहां स्लम्स क्लीयरेन्स बोर्ड होते हैं, ऐसे दूसरे बोर्ड होते हैं, छोटी मोटी सुविधाएं पेपर पर कर लेते हैं, लेकिन जो फाइनेन्स उनको देना चाहिए, वह नहीं है। पूरे देश में यह प्रोब्लम है। अगर उनकी फाइनेन्स की उपलब्धि नहीं होती है तो किसी योजना में हम पार नहीं पा सकते, हमारे गांवों में या हमारी झोपड़-पट्टियों में कोई फेरफार नहीं कर सकते। इसलिए यह जो स्लम्स डवलपमेंट बोर्ड है या और दूसरी ऐसी सुविधाएं है, उनके बारे में सोचा जाए और उन पर प्राइरेटी बेसिस पर ध्यान दिया जाए। यह बहुत जरूरी है।

ऐसे ही बैकवड क्लासेस, एस० सी०, एस० टी० महिलाओं, बच्चों, माइनोरिटीज, इन सब के डवलपमेंट की हम योजना बनाते हैं। इनके लिए अलग अलग बोर्ड भी अवलेबिल हैं। इतना सब होते हुए भी जितना फाइनेन्स इनके विकास के कामों के लिए जरूरी है, वह उनको नहीं दिया जाता है और इसलिए उनकी जो कार्यक्षमता होनी चाहिए, एफेक्टिवनेस उसमें आनी चाहिए, वह नहीं आती।

इसका एक उदाहरण देकर मैं कहूंगी कि जो हमने वीमन कमीशन बनाया, उसको एक करोड़ दिया गया पूरे साल में एक करोड़ देकर 50 प्रतिशत आबादी के लिए जो बेकवर्ड में भी बेकवर्ड है, पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, ऐसी महिलाओं के लिए अगर हम एक करोड़ दे दें तो यह एक करोड़ कहां खर्च करेंगे, कौन सी योजना में खर्च करेंगे? उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सेट-अप है, वह ही एक करोड़ में पूरा नहीं होता है तो कोई स्कीम तैयार करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसके लिए अनुदान देना, इन सबकी कोई उनके लिए गुंजाइश रहती नहीं है, ऐसी कई योजनाएं हमने बनाई हैं कि जिनको पूरा फाइनेंस न देने के कारण, उसका जो लाभ हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, अगर हम हिसाब लगाएं कि इन योजनाओं में लगाई गई राशि में से कितनी योजनाएं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में गई, अगर हम इसकी जांच करेंगे तो इसमें 60 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और कहीं-कहीं 80-90 प्रतिशत राशि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च में चली जाती

है, उसके सेट-अप में चली जाती है और जो कल्याण का कम हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचता है, इसमें कहीं-कहीं मिसयूज़ भी होता है, कहीं उसका गलत इस्तेमाल होता है और यह जो थोड़ा सा 20 परसेंट, 25 परसेंट कार्य के लिए मिलता है, इसमें भी इस तरह कमी आ जाती है, तो इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए कि कितनी रकम हम एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे, कितनी रकम योजनाओं के लिए यूज़ करेंगे और जिन लोगों तक हम यह पहुंचाना चाहते हैं, वह छोटा आदमी, गांव का आदमी, पिछड़ा हुआ आदमी, उसके पास उसका लाभ पहुंचता नहीं है, उसकी भी इवेल्यूएशन, उसकी भी हमें चैकिंग करनी चाहिए और ऐसा कोई सिस्टम हमें डेवलप करना जरूरी है।

आजकल वस्तुओं के दाम दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है उससे और मुश्किल स्थिति गरीब लोगों की होती जा रही है और यह एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रोडक्शन ज्यादा, हो, यह जितना जरूरी है लेकिन उतना ही जरूरी है उसका प्रापर डिस्ट्रिब्यूशन हो और उसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जो दैनिक एमिनिटीज़ हैं, जो जीवन की आधारभूत वस्तुएं हैं, जो कॉमन मैन के लिए अनिवार्य हैं—जैसे फूडग्रेन हो, शूगर या गुड़ हो, ईडेबल ऑयल हो, मिट्टी का तेल हो, ऐसी जो चीजें हैं, ये सब चीजें और रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक एमीनिटीज़ हम मानते हैं, ये सब चीजें उनको किफायती भाव से मिलती रहें, ऐसे स्पेशल प्रोविजन के बारे में हमें विचार करना चाहिए। अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो कितनी भी आमदनी हमारी हो, जो गरीब आदमी हैं, सामान्य मिडिल क्लास आदमी है, उसकी मुश्किलात बढ़ती रहेंगी और आप तो जानते हैं कि हमारे मिडिल क्लास में एक आदमी कमाता है, उसके ऊपर सारा परिवार जीता है। अगर एक के बजाए पति-पत्नी दोनों काम करना चाहें तो हमारे यहां इतना इम्प्लायमेंट भी नहीं है, इसके लिए हमें कई साल तक बैठे रहना पड़ेगा कि हरेक आदमी को, वह जब मांगे उसे एम्पलाएमेंट मिल जाए। ऐसा अर्थ-तंत्र बनाने में तो कई साल बीत जायेंगे। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर अपनी बेसिक एमीनिटीज के लिए निदान नहीं करेंगे तो हमारे समाज में बड़ी समस्याएं रहेंगी और जो कुछ हमने अभी बनाया है, उसका लाभ पूरे समाज को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा।

थोड़ी बातें अब मैं अपनी स्टेट के बारे में भी इस समय बताना चाहती हूं। गुजरात स्टेट में अगर बैंकिंग प्रोसेस को हम देखें तो जो क्रेडिट डिपाजिट रेश्यो देखें तो गुजरात में डिपाजिट ज्यादा बैंक में जाती है और इसके मुकाबले क्रेडिट कम मिलती है। अन्य स्टेट में जो क्रेडिट मिलती है, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए या उद्योग के लिए लोगों को क्रेडिट मिलता है, यह 70, 75, 80 परसेंट तक मिलता है, हमारे गुजरात का रेश्यो 50 परसेंट का है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर लोग बैंक में अपना पसीने का पैसा पाई-पाई करके जमा करवाते हैं तो गुजरात को उसका लाभ डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए। तो इसके बारे में खास तौर पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको सोचना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह क्रॉप इंश्योरेंस की है। गुजरात में सौराष्ट्र में क्रॉप इंश्योरेंस लागू किया गया है लेकिन हमारे यहां उत्तर गुजरात, पंचमाल और साउथ में डांग जैसे ट्राईबल इलाके हैं, जो पिछड़े हुए है। वहां जो छोटे-मोटे खेती करने वाले लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो एक जनरल इंश्योरेंस सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है।

महोदय, हमारी स्टेट में 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स ड्राऊट-प्रोन एरियाज़ में आते हैं और 3-4 में बाढ़ का हर साल डर रहता है। तो कहीं बाढ़ की मुश्किल आती है, कहीं अकाल की समस्या है। तो अगर हरेक फार्मर को यह क्रॉप-इंश्योरेंस की सुविधा नहीं पहुंची तो खेती पर वे अपना निर्वाह नहीं कर पाएंगे।

एक और महत्व की बात यह है कि गुजरात में एक बैंक ऑफ गुजरात की स्थापना की बात चल रही थी और गुजरात सरकार ने इसके लिए मांग की थी और जहां तक मेरी जानकारी है, रिजर्व बैंक ने उसको अपनी मंजूरी भी दे दी है। लेकिन अभी तक ये बैंक शुरु करने की कोई कार्यवाही हो नहीं रही है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, क्या काम बाकी है कि इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी इंक्वायरी करें और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें जिससे यह बैंक जल्दी शुरु हो और हमें इसका फायदा गुजरात के विकास में मिले।

एक और सवाल हमारा है, वह बंद मिलों का प्रश्न है। गुजरात पहले से टैक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर रहा है लेकिन अब ज्यादातर मिलें बंद हो रही हैं और उनमें काम करने वाले मजदूरों के कंपनसेशन की रकम जो तय की गई है फिर भी आज तक उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। इन महंगाई के दिनों में काम के बिना, रोजगार के बिना, आमदनी के बिना वे लोग कैसे जियेंगे, अपनी फैमिलीज़ को कैसे सस्टैन करेंगे? जब यह बात हमने टैक्सटाइल मिनिस्टर के सामने रखी तो उन्होंने कहा

कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से विनती करना चाहती हूं कि अगर सरकार कहेगी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और सरकार इन लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आएगी और उनको पैसे नहीं दिलवाएगी तो ये फैमिलीज़ कैसे जियेंगी? उनको अगर कोई ऑल्टरनेटिव व्यवसाय ढूंढना है तो उसके लिए भी तालीम लेनी पड़ेगी, उसके लिए इन्वैस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर कंपनसेशन नहीं मिला तो वे लोग ऑल्टरनेटिव व्यवसाय भी कहां से कर सकेंगे? तो मेरी इतनी विनती है कि इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल करें।

आज तीन महीनों से गुजरात में अरविंद भाई बूच, जो एक बार एम०पी० भी रह चुके हैं, गुजरात में मिनिस्टर भी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप के नीचे धरने का प्रोग्राम चल रहा है लेकिन सरकार इस प्रश्न को सुलझाने के लिए कोई विचार-विमर्श करने के लिए भी तैयार नहीं है, बातचीत के लिए किसी को बुलाती नहीं है। यह बड़े दुःख की बात है।

एक और अति महत्व का प्रश्न है ताप्ती गैस का। गैस का इतना बड़ा भंडार गुजरात में है कि अगर सरकार इसका पूरा-पूरा इस्तेमाल करे तो हमें आसान से गैस लाने की जरुरत नहीं होगी। वैसे भी आसान की गैस महंगी है। अगर गुजरात में ताप्ती से पूरा गैस निकालें तो हमें सस्ती गैस मिल सकती है। हमें इसका उपयोग करना चाहिए। महोदय, गुजरात के लिए कमनसीबी की बात है कि गुजरात में गैस-फील्ड्स हैं।

गुजरात में ऑयल फील्ड है। लेकिन उसका लाभ गुजरात को नहीं मिलता है। यहां गुजरात में से गैस लेकर कहीं उत्तर प्रदेश और अन्य को उसका लाभ मिलता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना बढ़ जाता है तथा गुजरात में इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो कोयला लाना पड़ता है, उसका दाम भी उसको देना पड़ता है। तो जाने-आने में ही और माल के हेरफेर में ही हम इतना खर्च कर रहे हैं। इसके बजाय अगर हम ऐसा करें कि जहां कोयला मिलता है वहां कोयला आधारित इलैक्ट्रिसिटी लांच करें और जिस प्रदेश में गैस मिलती है वहां गैस पर आधारित इलैक्ट्रिसिटी प्लांट लगाएं तो हमें इससे इकोनोमिकली लाभ हो सकता है। इस पर भी सोचना चाहिए। ऐसी ही अन्य कई बातें हैं जिसमें गुजरात के विकास के बारे में कई सालों से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब प्राईम मिनिस्टर कच्छ में आए थे और कच्छ की पार्लियामेन्ट सीट का जब इलेक्शन था, उन्होंने तब पब्लिक मीटिंग में गांधी ग्राम भूज की रेलवे लाईन दिलवाने की घोषणा की थी और इलैक्शन होते हुए उसका काम शुरु होने की भी बात कही थी। आज उस लाईन का उल्लेख इस बजट में नहीं हुआ है। कपड़वंज लाईन जिसके ऊपर 5 करोड़ का खर्चा भी हो गया था, उसका प्राथमिक कार्य शुरु भी हो गया था और बाद में यह योजना बंद कर दी गई और यह योजना आगे चलाने के लिए कोई सोच नहीं रहा है। तो यह जो खर्च हो गया है तो वह फिजूल हो गया है। जो एरिया सांवरकठ डिस्ट्रिक्ट का विस्तार है, और यातायात की सुविधा न होने के कारण उसका विकास नहीं हो रहा है। छोटा उदयपुर, प्रताप नगर लाईन पर तीन साल पहले बाढ़ में इसके दो पुल बह गए थे। पूरी रेलवे लाईन बंद है, ट्रांसपोर्टेशन की रेलवे की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्रोड गेज करो या न करो, ब्रोड गेज करते-करते कहीं 15-20 साल बीत जाएंगे और प्लानिंग में कब जाएगा, यह तो किसी को मालूम नहीं है। अगर दो पुल रिपेयर करा दें तो जो वहां गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं उनके यातायात का जो प्रश्न है, वह दूर हो जाएगा। यह रिपेयरिंग का छोटा सा काम है, चार-पांच करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। तो इतना काम भी गुजरात के लिए नहीं किया जाता है। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच की रेल लाइन को ब्रोड गेज करना है, यह भी प्रोजेक्ट अभी बाकी है। जैसे रेलवे में है, वैसे ही जो एयर सर्विसेज हैं इसमें भी यह मुश्किल है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, लेकिन वीक में दो ही टाईम अमेरिका और इंग्लैंड की फ्लाईट जाती है। किसी को वहां इंटेरेस्ट ही नहीं रहता है। जो वहां पैसेंजर्स आते हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत आती है। जो मानवीय व्यवहार उनके साथ करना होता है, यह भी नहीं होता है। अगर यह लाईनें—हांगकांग, सिंगापुर और अहमदाबाद, अगर डवलपमेंट कर दिया जाए तो पूरे वीक यह एयरपोर्ट चलता रहे और इसके कारण गुजरात में यातायात का और कॉमर्स का संबंध अन्य प्रदेशों के साथ घनिष्ट हो सकता है। इसके बारे में अगर हम कुछ कर सकें तो इससे पूरा लाभ पब्लिक को भी होगा और गवर्नमेंट की भी आमदनी बढ़ेगी। तो मेरा यह सुझाव है कि इसके बारे में भी सीरियसली विचार किया जाए। गुजरात की जनता में एक फीलिंग है कि सबके लिए डवलपमेंट की योजना दी जाती है और गुजरात के साथ हमेशा अन्याय किया जाता है। यह फीलिंग गलत नहीं है, क्योंकि चाहे रेलवे हो या पोर्ट हो या एयर सर्विसेज हों, चाहे रोड डवलपमेंट की बात हो, कहीं भी गुजरात के लिए कोई योजना पिछले तीन-चार सालों से नहीं बनाई गई है। कोई बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्री भी गुजरात में नहीं

आई हैं। जैसे सौराष्ट्र कच्छ को लगता है कि हम पिछड़े हुए हैं वैसे पूरे गुजरात को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात के साथ अन्याय कर रही है। तो मेरा यह सुझाव है कि अगर इस विवाद को यहां सुलझाया जाए और हमारा जो गैस का प्रश्न है या ज्यादा रेलवे लाइन्स का प्रश्न है या तो पोर्ट्स डेवलपमेंट का सवाल है, टूरिज़म डेवलपमेंट का सवाल है, रेलवे डेवलपमेंट का सवाल है, उस पर ध्यान दिया जाए, ऐसी विनती है। आपने जो टाइम दिया उसके लिए मैं आपका आभार मानती हूं।

श्री शंकर दयाल सिंहः उपसभाध्यक्ष जी, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुन्डार मिडल ने जब "एशियन ड्रामा" में भारत का जिक्र किया तो दो बातों की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। एक तो यह कि भारत की तरक्की तब तक नहीं हो सकती है जब तक भारत गांधी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा और अपने नीचे से योजना को ऊपर तक लाने का प्रयास नहीं करेगा। और दूसरी बात गुन्डार मिडल ने यह कही कि जब तक भारतीय संसद में अंग्रेज़ी में कारबार होता रहेगा और भाषण होते रहेंगे, तब तक वह देश गुलाम ही समझा जाता रहेगा, तरक्की नहीं करेगा। इन दो बातों को आपके सामने रखते हुए मैं याद दिलाना चाहता हूं सरकार को कि यह वर्ष गांधी की 125वीं जयन्ती मनाने का और विनोबा का शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसलिए यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि सरकार जब कभी भी अगर निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक कुछ करना चाहती है तो गांधी और विनोबा दोनों की रचनात्मक शक्ति को समझते हुए कारगर ढंग से उसको कुछ करना पड़ेगा। अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़े या योजना में उन्हें शामिल करना पड़े। गांधी जी ने ग्रामीण विकास रचनात्मक कार्यक्रम, स्त्री शिक्षा, भारतीय भाषाओं का विकास, छुआछूत, मिटाना, हरिजन समस्या, हरिजनों को आर्थिक रूप से स्वनिर्भरता और सामाजिक रूप से सम्मान, कुटीर उद्योग, बेसिक शिक्षा आदि की बातें कही थीं। आज जब कभी भी सरकार की ओर से कोई बात कही जाती है, मैं उसमें ढूंढने का प्रयास करता हूं कि कहीं भी गांधी नज़र आते हैं या नहीं? विनोबा का रचनात्मक कार्यक्रम नज़र आता है या नहीं? तो मैं कहीं नहीं पाता हूं और मुझे लगता है कि वोट का जब मौका आता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस गांधी को भजाती है, उसके बाद कांग्रेस गांधी को भूल जाती है। तो इस विनियोग विधेयक पर मैं चर्चा करते हुए सबसे पहले सरकार से और ठाकुर जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा जो कि अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे। आपका ध्यान मैं ठाकुर जी, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गांधी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 125वीं जयन्ती जब देश मना रहा है और जो एक करोड़ रुपया विकास की मद में आप सांसद कोष में देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जो कुछ इसके पहले आपने सदन में बयान किया है, उसमें सच्चाई शायद नहीं है। शायद कह रहा हूं पर सच्चाई नहीं है।

SHRI REMESHWAR THAKUR: Mr. Vice-Chairman, Sir I am extremely sorry to say that there is some misunderstanding. What I have said, I have said with due authority, supported by facts and figures. If the State Government is not able to provide the funds to the hon. Member or to accommodate the scheme, he should speak to the State Government also; I have politely stated this much. I have given the figures as to the funds that have been sent there, to the State from where the hon. Member comes. It is not fair to say like that. I appreciate the other sentiments expressed about Mahatma Gandhi and others. I am one of those people who had seen Gandhi. I had participated in his prayers. I had been a participant in the 1942 Movement. I do not make a wrong statement praticularly in this hon. House. I will never do that in my life. This is not a correct thing. The hon. Member should not say such things.

श्री शंकर दयाल सिंहः उपसभाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय कुछ गुस्से में आए क्योंकि इसके पहले मैंने इनको कभी गुस्से में आते नहीं देखा था। मैंने जो कहा, फिर मैं उसको दोहराता हूं। मैंने कहा कि शायद यह सच्चाई नहीं है। शायद कहा। संसदीय ढंग से और नैतिक ढंग से भी मैंने बीच में अपने और इनके बीच में शायद शब्द जोड़ा है और शायद इसलिए कहा कि हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मंत्री महोदय ने आज जानकारी दी लेकिन न तो यह पत्र इनकी ओर से है, न प्रांतीय सरकार की ओर से है, न

5 P.M. कलेक्टर की ओर से है। एक करोड़ की राशि विकास कार्य हेतु जिलों में भेजी गयी है। अगर भेजी गयी है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उसकी प्रतिलिपि हम लोगों को भेज दें, डी०एम० को जो आदेश दिया है, उसकी कापी हम लोगों को भेज दें और निश्चित रूप से जो माननीय सदस्यों ने इससे पहले चिंता व्यक्त की है कि हम लोगों को जलील होने से बचाया जाए

क्योंकि हर जगह जनता समझती है कि हम करोड़पति हो गये हैं।

उप सभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि आप इसे कान्टीन्यू करेंगे या इस पर कल बोलना चाहेंगे क्योंकि पांच बज गए हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह: कल बोल लूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD SALIM): The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 18th August, 1994.